त्रयोदश माला, खंड 31, अंक 10

शुक्रवार, 28 फरवरी, 2003
9 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 55
Date 17.9.03

सत्यमेव जयते

(खण्ड 31 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 31, बारहवां सत्र, 2003/1924 (शक)]

अंक 10, शुक्रवार, 28 फरवरी, 2003/9 फाल्गुन, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
साधारण बजट, 2003-2004	
श्री जसवंत सिंह	1-52
वित्त विधेयक, 2003—पुर:स्थापित	
श्री जसवंत सिंह	53-54

लोक सभा

शुक्रवार, 28 फरवरी, 2003/9 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

सामान्य बजट* 2003-2004

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री, श्री जसवंत सिंह

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : अध्यक्ष महोदय मुझे श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार का लगातार छठा बजट प्रस्तुत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

मैं अपने प्रतिष्ठित पूर्व वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा की सराहना एवं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पहले बजटों में देश की वित्त व्यवस्था का बड़ी योग्यता के साथ संचालन किया। इस कारण आज मेरा कार्य काफी आसान हो गया है।

चुनौतियां एवं उनका मुकाबला

हमारे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रयत्नों और देश के वित्त के प्रबंधन में हमारे नागरिकों का हित निहित है, यह सारे प्रयत्न उनके संपूर्ण कल्याण के लिए हैं। यही हमारा मूल उद्देश्य है, जिसके लिए एनडीए सरकार की ऐसी वचनबद्धता है जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। अत: सरकार ने 2003-2004 के बजट के माध्यम से हमारे नागरिकों और देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित पांच उद्देश्यों को ''*पंच-प्राथमिकताओं*'' का नाम दिया है, यद्यपि महत्व की दृष्टि से इन्हें किसी क्रमानुसार सूचीबद्ध नहीं किया गया है:

(क) गरीबी उन्मूलन; हमारे नागरिकों के जीवन की समस्याओं को दूर करना जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और रोजगार शामिल हैं;

(ख) आधार-संरचना का विकास;

(ग) कर सुधारों के माध्यम से राजकोषीय मजबूती और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के सुधार सहित बजटीय अड़चनों की उत्तरोत्तर समाप्ति, राज्य स्तर पर 1 अप्रैल, 2003 से सेवा कर एवं मूल्यवर्धित कर (वैट) शुरू करना।

(घ) सिंचाई सहित कृषि एवं उससे संबंधित पहलू; और

(ङ) निर्यात संवर्धन और सुधार प्रक्रिया में आगे और तेजी लाने सहित विनिर्माण क्षेत्रक की कार्यकुशलता बढ़ाना।

इन ''पंच प्राथमिकताओं'' के पीछे संकल्पनात्मक आधार क्या है, मैं इस बारे में संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूंगा। इस बात को आप सभी मानते हैं कि हमारे नागरिकों की अनिवार्य उद्यमिता प्रवृत्ति और सृजनात्मक प्रतिभा हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति है। इस शक्ति को उपयोग में लाना हैं। इसके लिए ही नहीं बल्कि अभावग्रस्तता के अभिशाप को सक्षमता की परिसंपत्ति में परिवर्तित करने के लिए गरीबी का उन्मूलन महत्वपूर्ण है जो हमारे समय का नैतिक और आर्थिक मुद्दा है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बजट कार्य एवं व्यवस्था भारत के आम जनसमूह के नाम पर केवल कुछ ही लोगों के लिए होती है। यहां ऐसा नहीं है। इसीलिए कृषि की नई प्रगति, उससे संबंधित सुधारों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है, जो हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा है। एक और दूसरी क्रांति, पूर्व हरित क्रांति को अपनाना आज की सर्वोपरि आवश्यकता है।

परन्तु जब तक भौतिक एवं सामाजिक दोनों आधार संरचनाओं को तेजी एवं कार्यकुशलता के साथ विकसित नहीं किया जाता तब तक हम न तो कृषि में और न उद्योग में अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इसके लिए निजी और सरकारी दोनों के सम्मिलित प्रयत्न होने चाहिए जिससे अधिकाधिक सामाजिक कल्याण उत्पन्न किया जा सके। इन बुनियादों और विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्रकों को प्रोत्साहित करके, विशेषकर ज्ञान आधारित उद्योग क्रियाकलापों के द्वारा हम विकास में तेजी लाएंगे, आय में सुधार होगा, रोजगार उत्पन्न होंगे और निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा। हमारे निरंतर विकास के लिए राजकोषीय सुदृढ़ता इसका आधार है, इसका आधार स्तंभ है। सरकार को बजटीय अड़चनें पूर्ण रूप से समाप्त करनी हैं और स्वयं के बिछाए गए जाल से मुक्त होना है, यह हमारे विकास की गति और उसकी सशक्तता दोनों को अवरुद्ध कर देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि चहुंमुखी विकास की तेजी की निरंतरता एवं आत्मनिर्भरता की प्रगति बनी रहे और राष्ट्रीय संपत्ति का व्यापक वितरण हो तथा हमारे सभी नागरिकों के हाथों में अधिक खर्च करने की शक्ति हो। हमें इस बात की आवश्यकता को महत्व देना होगा कि सामाजिक एवं आर्थिक दोनों असमानताओं को कम किया जाए। इसे टाला नहीं जा सकता। इसी कारण सुधार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारे सुधार कार्यक्रम को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए,

*ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* सं० एल०टी० 7053/2003

न तो विगत वाद-विवादों की दृष्टि से और न इसकी विषयगत और चयनात्मक परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में। राष्ट्र के विकास के लिए यह एक सामूहिक आवश्यकता है जिसका हम सभी को मिलकर समाधान करना है।

अध्यक्ष महोदय, प्रगति एवं विकास के लिए देश में स्पष्ट रूप से एक अधीरता है। राष्ट्र लंबी परिणाम अवधियों या ढीले-ढाले कार्यान्वयन समय का इंतजार नहीं कर सकता अन्यथा विश्व हमसे काफी आगे निकल जाएगा। कार्यप्रणालियों एवं मानसिकता दोनों के लिए समान रूप से विनियमन मुक्ति के अलावा नौकरशाही के चंगुल से मुक्त होने की अधिकाधिक आवश्यकता है। वास्तव में, संस्थाओं, नियमों का सही डिजाइन एवं प्रयोग महत्वपूर्ण है परन्तु यह सभी हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों की सेवा के लिए होने चाहिए, यह कपोल-कल्पना या पक्षपातपूर्ण उद्देश्य नहीं होने चाहिए। देश की मुख्य आवश्यकता राष्ट्रीय सृजनात्मकता कार्यों के उपयोग की है। एनडीए सरकार के 2003-2004 के बजट में यही करने का प्रयत्न किया गया है। यह हमारा आर्थिक एवं सामाजिक समझौता है।

पृष्ठभूमि

अब मैं माननीय सदस्यों के समक्ष उस पृष्ठभूमि का संक्षेप में जिक्र करूंगा जिसमें हमने अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना है।

भू-राजनैतिक

हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं वह भूमण्डलीय अनिश्चितताएं, खाड़ी के ऊपर उनका भंवर जाल और इराक इसका अहम मुद्दा है और यहां तक कि इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष की आग भी सुलग रही है। उत्तरी अरब सागर में विशाल नौ-सेना का जमावड़ा है, थल सेनाएं एवं वायु सेनाएं युद्ध की तैयारी में हैं। हमारे और करीब हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान, दशकों से चली आ रही हिंसा से आक्रांत है, तालीबान-हिंसा के परिणामों से जूझ रहा है। पूर्वोत्तर एशिया में गैर-जिम्मेदारीपूर्ण विदेशी सहायता के कारण पुरानी दुश्मनियां खतरनाक स्थिति तक भड़क उठी हैं। हमारा सबसे नजदीकी पश्चिमी पड़ोसी, अनेक आंतरिक कमियों एवं दोषों के बावजूद भारत के प्रति अपनी जबरन शत्रुता की हांडी से आतंकवाद का विष-वमन कर रहा है।

वृहद् आर्थिक परिस्थितियां

इन सबके बावजूद और अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों की वर्तमान, आस्थिरता, भूमंडलीय सुधार में चल रही मंदी, अनिश्चित बाजारों, 9 महीने की सेना की लंबी तैनाती, विदेशों से सहायता प्राप्त एवं उकसाए गए आतंकवाद से लड़ने की एक साथ चुनौती और तीन दशकों में हमारे द्वारा झेले गए सबसे खराब सूखे की स्थिति के कारण मेरा यह मानना है कि वर्धित एवं निरंतर विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और जीवन की दशा सुधारने के हमारे विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देश की वृहद् आर्थिक परिस्थितियां कभी भी बेहतर नहीं रही हैं।

आर्थिक निष्पादन : 2002-03

महोदय, वर्ष 2002-03 के समग्र आर्थिक निष्पादन की आर्थिक समीक्षा में विस्तार से सूचना दी गई हैं। मैं उन सभी को दोहराना नहीं चाहता, केवल यह उल्लेख करना चाहूंगा कि फसल उत्पादन में भारी गिरावट के ही कारण उत्पन्न अनुमानित 3.1 प्रतिशत की कृषि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गिरावट के बावजूद, देश ने, मुद्रास्फीति घटाकर, जीडीपी में 4.4 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि प्रदर्शित की। उद्योग (6.1 प्रतिशत) और सेवाओं (7.1 प्रतिशत) की वृद्धि दर में उत्साहजनक रूप से तेजी आई और निर्यातों की वृद्धि दर काफी अच्छी अर्थात् 20.4 प्रतिशत थी।

वर्ष 1956 से आगे लगातार हमने विदेशी मुद्रा की गंभीर कठिनाइयों को सहन किया हैं। परन्तु अब ऐसा नहीं है। 24 वर्षों के अंतराल के बाद हमारा चालू खाता 2001-02 में ''सरप्लस'' (अधिशेष) में बदल गया और चालू वर्ष के पहले दो त्रैमासों के दौरान यह ''सरप्लस'' बना रहा। पिछले वर्ष के दौरान निर्मित हमारा रिजर्व एक अकेले वर्ष में सबसे अधिक रहा जो फरवरी के तीसरे सप्ताह में 75.5 बिलियन डालर को पार कर गया। फरवरी के प्रारंभ में वस्तुत: परसो ही सरकार ने अपने विदेशी ऋणों के 3 बिलियन डालर की समयपूर्व अदायगी का निर्णय लिया। भारत अब 15 देशों को अनाज का निर्यात कर रहा है, एक दर्जन देशों को दुर्लभ मुद्रा सहायता प्रदान कर रहा है और अन्य एक दर्जन देशों को रुपया सहायता प्रदान कर रहा है। विदेशी परिसंपत्तियों के साथ मुद्रा अनुपात में रुपया 124.8 प्रतिशत पर स्थिर है। बाजार मूल्यों पर जीडीपी के अनुपात के रूप में सकल घरेलू बचतों में भी सुधार हुआ है और यह लगभग 24 प्रतिशत पर हैं। पिछले चार वर्षों में सरकारी प्रतिभूतियों पर हमारी ब्याज दरें तेजी से कम होकर 12 प्रतिशत से लगभग 7 प्रतिशत पर आ गई हैं और इस प्रकार यह निवेश वृद्धि के लिए अवसर तैयार कर रही है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना

राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसम्बर, 2002 में दसवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किया जिसमें औसतन 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का एक बड़ा एवं महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया था। दसवीं योजना का एक

महत्वपूर्ण उद्देश्य एक संतुलित एवं समान क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना तथा राज्य स्तर पर आवश्यक नीति और प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाना है। वर्ष 2003-04 के लिए आबंटन में अनेक अतिरिक्त उपाय शामिल हैं जिसमें अन्य के साथ-साथ निजी क्षेत्रक की भागीदारी के द्वारा सार्वजनिक धन बढ़ाकर आधार संरचना को बढ़ावा देना, जल के अभाव वाले क्षेत्रों एवं विद्यालयों में 2 लाख हैंड-पम्पों का प्रावधान, गांवों में 1 लाख पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान एवं विकास सहायता, पवन एवं सौर ऊर्जा शामिल हैं।

महोदय, अब मैं ''पंच प्राथमिकताओं'' का उल्लेख करने की अनुमति चाहूंगा।

अन्त्योदय एवं जीवन से जुड़ी समस्याएं

अन्त्योदय अन्न योजना

गरीबी के उन्मूलन के लिए केवल सुधार ही ऐसे उपाय हैं जिनसे निरंतर विकास एवं अधिक रोजगार उत्पन्न होते हैं, यही टिकाऊ समाधान भी है। फिर भी हमारे संतोषपूर्ण खाद्य स्टाक को देखते हुए संभावनाएं भी हैं और सीधी कार्रवाई की भी आवश्कता है।

अध्यक्ष महोदय, आप इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि कमजोर वर्ग हमेशा हमारे राजकोष का पहला लक्ष्य होना चाहिए। यह हमारा विश्वास है, यह हमारा मत है, यह हमारी अभिन्न मानवता के हृदय की पुकार है। अत: मैं इसकी पहली घोषणा करना चाहता हूं, ऐसा निर्णय लिया जा चुका है कि 1 अप्रैल, से अन्त्योदय अन्न योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि अतिरिक्त 50 लाख परिवारों को इसके अंतर्गत लाया जा सके और वर्ष 2003-04 के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे के सभी परिवारों के एक चौथाई से अधिक को लाभान्वित किया जा सके। इस पर होने वाला अतिरिक्त बजटीय व्यय 507 करोड़ रुपए का होगा।

महोदय, मेरा यह विनम्र निवेदन है कि मेरे उस आश्वासन का पहला भाग पूरा हो जाता है जो मैंने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मुझे सौंपे गए दायित्व के समय दिया था। जब पत्रकारों ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरा पहला कार्य ''गरीब के पेट में दाना है....'' इसलिए, मेरे विचार से मेरे आश्वासन का पहला भाग पूरा हो गया है।

ग्रामीण विकास, ग्रामीण उद्योग एवं कारीगर तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न स्कीमों के माध्यम से अनेक उपाय किए गए हैं। अत: कुछ समय से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि एक ही किस्म की इन सभी स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का प्रस्ताव किया गया है। यह गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास से संबंधित सभी स्कीमों की जांच करेगी और उनके व्यावहारिक एकीकरण की सिफारिश करेगी।

जीवन से जुड़ी समस्याएं

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस, 2002 को एक महान एवं पूर्ण उद्देश्य के रूप में हमारे नागरिकों की ''जीवन से जुड़ी समस्याओं'' को दूर करके राष्ट्रीय कल्याण सुधारने की सरकार की वचनबद्धता की घोषणा की थी। जैसाकि मैंने सभी माननीय सदस्यों से बातीचीत की, ''जीवन से जुड़ी समस्याओं'' के विभिन्न पहलू है।

आवास

इनमें से मैं सबसे पहले आवास को लेता हूं। यह एक प्राथमिक आवश्यकता है। निर्माण के सभी महत्त्वपूर्ण रोजगार उत्पादक क्रियाकलापों को बढ़ावा देते हुए, यह इस्पात और सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों की मांग में भी तेजी लाता है। विकास की वर्तमान गति को बनाए रखने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि स्वयं के रहने के लिए आवास-संपत्ति के निर्माण या खरीद हेतु 1,50,000 रुपए तक के आयकर के अधीन कटौती योग्य ब्याज को जारी रखा जाए। इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि 31 मार्च, 2005 तक स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित निर्दिष्ट विनिर्देशनों के आवासीय यूनिटों के निर्माण की आवास परियोजनाओं से प्राप्त आय को अब आयकर से छूट दी जाएगी। इस प्रकार केवल 31 मार्च, 2001 तक पहले निर्धारित स्वीकृति वर्ष के संबंध में सीमा को अब बढ़ाया ही नहीं गया है बल्कि स्कीम के लाभ भी उपलब्ध कराए गए हैं भले ही निर्माण कार्य किसी भी वर्ष में पूरा किया गया हो। वित्त मंत्रालय भी इस बात की जांच कर रहा है कि प्राथमिक आधार संरचना विकासों, जिसमें स्लमों का विकास, मल-जल निष्कासन प्रणाली लगाना और हरित क्षेत्र आवास परियोजनाएं होनी चाहिए, के लिए क्या अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं।

शिक्षा

हमारी ''जीवन से जुड़ी समस्याओं'' के मामले में शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अत: नागरिक करदाताओं के स्तर पर पहले कदम के रूप में दो बच्चें के लिए प्रति बच्चे 12,000 रुपए तक का शिक्षा व्यय आयकर अधिनियम की धारा 88 के अधीन छूट के योग्य बनाया जाएगा।

भारत एक उच्च सृजनशील, ज्ञान आधारित समाज है, परन्तु पुस्तक लेखन को कभी भी पर्याप्त रूप से, पुरस्कृत नहीं किया गया, आर्थिक

रूप से तो निश्चित ही कभी पुरस्कृत नहीं किया गया। अत: साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक पुस्तकों के लेखकों द्वारा प्राप्त प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए तक की रायल्टी की आय को अब पूरी छूट दी जाएगी, पेटेन्ट्स के उपयोग से व्यक्तियों को प्राप्त रायल्टी को भी छूट दी जाएगी। यह अन्य विद्यमान छूट लाभों के अलावा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ पुस्ताकों का लेखक होने के नाते, जिन पर हमेशा अलग-अलग और मामूली रायल्टी आय मुझे मिलती है, में संभावित व्यक्तिगत लाभ है। अत:, इसलिए मैं सुस्पष्ट रूप से यह घोषणा करता हूं कि इसमें हित साधान की कोई बात नहीं है क्योंकि मैंने किसी व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए यह घोषणा नहीं की है।

खेल एवं क्रीड़ा

खेल एवं क्रीड़ाओं की आवश्यकता मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर एवं मस्तिष्क के विकास के लिए भी है। इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परन्तु 100 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राष्ट्र में हमारे युवकों को उपलब्ध खेल सुविधाएं एकदम अपर्याप्त हैं। अत: खेल आधार सुविधाओं के विकास को सरकारी-निजी संयुक्त कार्यों के सीधे ही निधिपोषण के जरिए अब सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में शीघ्र ही वित्त मंत्रालय द्वारा मार्गनिर्देश जारी किए जाएंगे।

स्वास्थ्य

महोदय, मेरे विचार से जीवन से जुड़ी तीसरी समस्या स्वास्थ्य की है जहां भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इस लाभ से वंचित हैं अत: तीन मुख्य उद्देश्यों अर्थात् अच्छे राष्ट्रीय स्वास्थ्य में योगदान, भारत को विश्व स्वास्थ्य लक्ष्य के रूप में बढ़ावा देना और हमारे कमजोर नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अनेक अतिरिक्त उपायों का अब प्रस्ताव किया जाता है।

सर्वप्रथम निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नए अस्पतालों की स्थापना या विद्यमान चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए ऐसी वित्तीय संस्थाओं को जो 100 या इससे अधिक पलंगों वाले निजी अस्पतालों को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करती हैं, आयकर अधिनियम की धारा 10(23छ) के लाभ देने का प्रस्ताव किया जाता है।

चिकित्सा उपस्करों के अनुसंधान एवं विकास में तीव्र प्रगति को देखते हुए विद्यमान चिकित्सा उपस्करों को ''स्टेट ऑफ दि आर्ट'' (आधुनिकतम) प्रौद्योगिकी से निरंतर उन्नत करने और बदलने की आवश्यकता है। अत: जीवन रक्षक चिकित्सा उपस्करों के संबंध में मूल्यह्रास दर वर्तमान 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया जाता है।

दृष्टिबधित नागरिकों महोदय, मेरा तात्पर्य दृष्टि से है, की सहायता के लिए ''रफ ऑप्थाल्मिक ब्लैंक्स'' पर प्राथमिक सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क घटाकर क्रमश: 25 से 5 प्रतिशत और 16 से 8 प्रतिशत किया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह बहुत अच्छा भाषण है। यह स्वागतयोग्य परिवर्तन है...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : धन्यवाद

तम्बाकू और इसके उत्पादों के प्रति लोगों की लत छुड़ाने के लिए ''निकोटीन पोलेक्रीलेक्स गम'' पर उत्पाद शुल्क 16 से कम करके 8 प्रतिशत किया जाएगा ...*(व्यवधान)*

जीवन रक्षक उपस्करों पर सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने और सीवीडी से ऐसे जीवन रक्षक उपस्करों में छूट देने का भी प्रस्ताव किया जाता है, जो अतिरिक्त सीमाशुल्क है सीवीडी से पहले ही छूट प्राप्त जीवन रक्षक उपस्करों के संबंध में उन्हें उत्पाद शुल्क से भी छूट देने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि स्वेदशी विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।

अधिकांश जीवन रक्षक औषधियों को या तो सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है या उन पर 5 प्रतिशत सामान्य शुल्क लगाया गया है। यह 5 प्रतिशत की शुल्क दर की रियायत कुछ और औषधियों को भी देने का प्रस्ताव किया जाता है। जीवन रक्षक औषधियों जिन पर इस समय शून्य या 5 प्रतिशत सीमाशुल्क लगाया जाता है, उत्पाद शुल्क से भी छूट दी जाएगी। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयुक्त ग्लूकोमीटरों और ग्लूकोमीटर पट्टियों पर प्राथमिक सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा और उन्हें उत्पाद शुल्क से भी छूट दी जाएगी। साइक्लोस्पोरिन को उत्पाद शुल्क से छूट दी जाएगी। शून्य उत्पाद शुल्क की यह कटौती, जहां कहीं आयातों को सीवीडी से छूट दी गई है, निश्चित रूप में हमारे घरेलू उद्योग को अधिक प्रतियोगी बनाएगी और 2005 से नई बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली का मुकाबला करने में बेहतर रूप से समर्थ बनाएगी।

स्वास्थ्य बीमा

सरकार ने यह अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम उठाने का विचार किया है। हमारे अपेक्षतया कमजोर वर्ग के नागरिकों की अधिकांश संख्या के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान उपलब्धता नहीं है। इसे

सुधारने और कुछ प्राथमिकता का स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को 2003-04 के दौरान समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 1 रुपया (या 365 रुपए प्रतिवर्ष), पांच सदस्यों के परिवार के लिए 1.5 रुपए प्रतिदिन और सात सदस्यों के परिवार के लिए उसके आश्रितों सहित 2 रुपए प्रतिदिन का प्रीमियम अस्पताल में भर्ती होने के लिए 30,000 रुपए तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, इसके साथ ही दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 25,000 रुपए के कवर और आय के नुकसान के कारण यह प्रतिदिन 50 रुपए की दर से अधिकतम 15 दिनों की प्रतिपूर्ति की पात्रता प्रदान करेगी।

इसके अलावा, हमारे वंचित नागरिकों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की श्रेणी में आने वाले नागरिकों को इस योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने कुल प्रीमियम में से वार्षिक प्रीमियम के लिए प्रतिवर्ष 100 रुपये का योगदान देने का निर्णय लिया है। पूरा ब्यौरा शीघ्र ही घोषित कर दिया जाएगा।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस योजना को व्यापक संभावित कवरेज दें। इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को वास्तव में लाभ होगा।

हमारा इरादा चालू वर्ष के प्रथम चरण में ही गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले कम से कम 50 लाख लोगों को शामिल करने का है। यह उसके अलावा है जो इस योजना के लाभार्थी हैं।

अपंग एवं विकलांग

सरकार समान अवसर प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है। मै जानता हूं कि मेरे मित्र, माननीय सोमनाथ चटर्जी को बहुत शिकायतें हैं और उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया था कि हमें विकलांगों का समर्थन करना चाहिए तथा उन्हें महत्व देना चाहिए। इस संबंध में उनकी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए और उनका तथा उनकी मित्रता का सम्मान करते हुए हमने इस संबंध में पहले किए गए उपायों सहित अनेक पहल की हैं।

अब आयकर प्रयोजनों के लिए उदाहरणार्थ यह प्रस्ताव किया गया है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति या ऐसे आश्रितों वाले व्यक्ति स्थायी शारीरिक असमर्थता के लिए 50,000 रुपए की कटौती और गंभीर रूप से विकलांगों के मामले में 75,000 रुपए की कटौती के पात्र होंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सांप के काटे की दवाई, सांप गरीब लोगों को काट लेता है, उसकी दवाई के बारे में क्या किया।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : इसमें गरीबों का ही लाभ है। मैं श्रवण यंत्रों, बैशाखियों, व्हील चेयर्स, वाकिंग फ्रेम्स, ट्राइसाइकिल, ब्रेलर्स और नकली अंगों पर सीमाशुल्क कम करके बिना किसी विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) के 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। उन्हें सीवीडी से छूट दी जाएगी और घेरलू विनिर्माताओं को भी उत्पाद शुल्क से छूट दी जाएगी। मैं श्रवण यंत्रों और व्हील चेयर्स के पुर्जों पर बिना सीवीडी अथवा एसएडी के सीमाशुल्क घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

सरकार ग्वालियर में एक पुनर्वास विज्ञान कालेज और अनेक प्रकार की अपंगता वाले व्यक्तियों के लिए चेन्नई में राष्ट्रीय अधिकारिता संस्थान की स्थापना करेगी।

महोदय, अब मैं वेतन भोगियों की समस्या पर आता हूं।

आयकर प्रयोजनों के लिए सीमित मानक कटौती वेतनभोगियों के लिए निरंतर कठिनाई रही है। वे अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि यद्यपि इस वर्ग ने सदैव सर्वोत्तम रूप से कर अनुपालन प्रदर्शित किया है लेकिन उन्हें वास्तव में इसका लाभ नहीं मिला है। मैं इस बात से सहमत हूं कि वर्ग के रूप में वे सर्वोत्तम कर अनुपालक हैं। अतः प्रस्ताव किया जाता है कि 5 लाख रुपए तक की वेतन आय के मामले में ऐसे कर्मचारियों के लिए मानक कटौती बढ़ाकर वेतन का 40 प्रतिशत या 30,000 रुपए, जो भी कम हो, की जाए और 5 लाख से ऊपर की वेतन आय के मामले में 20,000 रुपए की जाए। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) अपनाने वाले कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक के वीआरएस भुगतान की छूट देकर, भले ही उसे किश्तों में लिया गया हो, राहत प्रदान की जाए।

मैं यह घोषणा, करना चाहता हूं कि सरकार अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) सुविधा की बहाली करेगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि इसके कारण राजकोष से व्यय होने वाली परिणामी अतिरिक्त राशि से कम से कम हमारे पर्यटन उद्योग को कुछ लाभ मिलेगा।

अब मैं वरिष्ठ नागरिक और पेंशनभोगी के बारे में कहूंगा

भारत शीघ्र ही विश्व में वृहद् व्यक्तियों की सबसे बड़ी संख्या वाला दूसरा देश बन जाएगा। हमारे वृहद् व्यक्तियों की आबादी इस समय 76 मिलियन होने का अनुमान है जिसके 2013 में बढ़कर 100

मिलियन होने की आशा है। अतः पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों का ध्यान रखना एनडीए सरकार का विशेष उत्तरदायित्व है।

उनका सेवानिवृत्ति का जीवन सम्मानजनक हो, इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों को कर छूट बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप 1.53 लाख रुपए तक की उनकी आय अब आयकर से पूर्णतया छूट प्राप्त होगी। पेंशन वाले वरिष्ठ नागरिकों के मामले में इसके बाद प्रभावी छूट सीमा वास्तव में मानक कटौती के कारण अधिक अर्थात् 1.83 लाख रुपए होगी। वह धारा 88 के अंतर्गत उपलब्ध कर छूट का फायदा उठाकर और राहत प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक और महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। लेकिन मेरा विश्वास है कि इसके अलावा उनके द्वारा अनुपालन की लागत कम करने हेतु, वरिष्ठ नागरिकों के लिए नौकरशाही झंझटों को कम करना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। मैं ब्याज आय यूनिटों से आय और ऐसे अन्य स्रोतों की आय से स्रोत पर कोई कटौती न करने के संबंध में हमारे वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं।

बीमा पेंशन स्कीम

फिर भी, ब्याज की गिरती दरों के संदर्भ में हमारे वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य के द्वारा अधिकतर बताई गई और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को मैं पूरी तरह समझता हूं। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एक विशेष पेंशन पालिसी शुरू करेगा जिसमें मासिक पेंशन स्कीम के रूप में प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत के वार्षिक प्रतिलाभ की गारंटी होगी।

इस स्कीम को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना कहा जाएगा जिसके द्वारा 55 वर्ष से ऊपर की उम्र का पेंशनभोगी या कोई नागरिक एकमुश्त धनराशि का भुगतान करके प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की दर से परिगणित लाभ प्राप्त कर सकेगा। इस स्कीम के लिए और सोची गई पेंशन के लिए 55 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक पात्रता पूरी करेगा और जीवन पर्यन्त पेंशन के रूप में मासिक प्रतिलाभ प्राप्त करेगा। न्यूनतम और अधिकतम प्रस्तावित मासिक पेंशनें 250 रुपए और 2000 रुपए की हैं। नागरिक द्वारा एकमुश्त धनराशि के भुगतान के अगले महीने से यह मासिक पेंशन शुरू होगी। स्कीम के अधीन निवेशित निधियों पर एलआईसी द्वारा अर्जित वास्तविक प्राप्ति और 9 प्रतिशत के बीमित प्रतिलाभ के बीच अंतर की सरकार द्वारा एलआईसी को वार्षिक रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस स्कीम के अन्य ब्यौरे एलआईसी द्वारा शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे।

भूतपूर्व सैनिक : हमारे सम्माननीय सदस्य

हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिनका मैं हृदय से कल्याण चाहता हूं, मैं उनके लाभ के लिए केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन गठित निगमों को आयकर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। उन सभी घोषणाओं के अलावा जो मैंने स्वास्थ्य योजनाओं के संबंध में की हैं यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि देश के दूरस्थ जिलों में प्रधानमंत्री की 227 भूतपूर्व सैनिक चिकित्सा (एक्सएसएम) सुविधाओं की स्थापना की स्कीम में से पहली सुविधा का उद्घाटन इस वर्ष अप्रैल माह में किया जाएगा। वित्त मंत्रालय इस स्कीम को पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करता है।

पुनर्गठित पेंशन स्कीम

मेरे पूर्व सहयोगियों ने नए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पुनर्गठित पेंशन स्कीम और आम जनता के लिए एक स्कीम की रूपरेखा की घोषणा की थी। अब यह स्कीम तैयार है। यह सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर सरकारी सेवा में आने वाले केवल नए व्यक्तियों पर ही लागू होगी और इसको अन्तिम रूप दिए जाने पर यह अनेक पेंशन विकल्प प्रदान करेगी। यह स्वैच्छिक आधार पर सभी नियोजकों को उनके कर्मचारियों के लिए और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध होगी।

यह नई पेंशन प्रणाली शुरू किए जाने पर परिभाषित अंशदान पर आधारित होगी जिसकी सरकारी कर्मचारियों के मामले में सरकार और कर्मचारियों के बीच बराबर की साझेदारी होगी। जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनके संबंध में वास्तव में सरकार से कोई अंशदान नहीं किया जाएगा। यह नई पेंशन स्कीम अन्तरणीय होगी जिसमें रोजगार परिवर्तन के मामले में लाभों के अंतरण की स्वीकृति दी जाएगी और यह लाभ पेंशन निधियों में ''व्यक्तिगत पेंशन खातों'' में जाएंगे। वित्त मंत्रालय एक नए और स्वतंत्र पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के माध्यम से पेंशन निधियों की देखरेख और पर्यवेक्षण करेगा।

भौतिक आधार संरचना

अब मैं ''पंच प्राथमिकताओं'' के दूसरे भाग अर्थात् भौतिक आधार संरचना पर आता हूं। आधार संरचना में बढ़े हुए सार्वजनिक निवेश द्वारा उत्पन्न मांग एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक रही है जिसने हमारे वर्तमान औद्योगिक सुधार के लिए कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने अक्तूबर, 1998 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) शुरू की थी जो विश्व में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी राजमार्ग परियोजनाओं में से एक है और हमारे इस्पात और सीमेंट उद्योगों के लिए सुदृढ़ पश्च-लिंकेज प्रदान करती है। वास्तव में अच्छी सड़कें, रेल सड़कें, पत्तन, विमानपत्तन, विश्वसनीय एवं उचित मूल्य की विद्युत आपूर्ति, सुरक्षित पेयजल और सफाई प्रदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं हैं इनके बिना भारत प्रौद्योगिकी तथा प्रतियोगिता द्वारा प्रदत्त अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा सकता।

जैसाकि मैंने पहले कहा कि विकासशील आधार संरचना के अंतर्गत सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ताकि सरकारी निधियों का लाभ उठाया जा सके और सेवा आपूर्ति की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके जिससे धन का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।

तद्नुसार, बजट 2003-04 में नवीन निधिकरण प्रणालियों के माध्यम से आधार संरचना, मुख्यत: सड़कों, रेलवे, विमानपत्तनों तथा समुद्रपत्तनों पर अधिक बल दिए जाने का प्रावधान है। इस व्यापक प्रयास में निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया जाएगा:

– 40,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 48 नई सड़क परियोजनाएं, जिनमें से एक चौथाई सड़कों का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया जाएगा;

– 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाली **राष्ट्रीय रेल विकास योजना;**

– 11,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर **दो विमानपत्तनों तथा दो समुद्रपत्तनों का नवीकरण/आधुनिकीकरण**; तथा

– **1,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दो वैश्विक मानक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंसन सेंटर्स की** स्थापना।

उपरोक्त परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कोरीडोरों का निधिकरण डीजल तथा मोटर स्प्रिट पर 50 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त उपकर लगा कर किया जाएगा। इस उपकर से सड़क विकास के लिए 2,600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अंशदान प्राप्त होगा।

नई निधिकरण प्रणाली का मूल तत्व जहां भी संभव हो, निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सरकारी धन बढ़ाना हैं। इस योजना के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं : परियोजना के पूरा होने के संबंध में विशिष्ट तथा सुपरिभाषित उपलब्धियों से सम्बद्ध करने पर ही सरकारी निधियों को जारी किया जाए; निजी प्रवर्तकों तथा वित्तदाताओं के साथ जोखिमों की साझेदारी; लेकिन किसी भी स्तर पर असीमित सरकारी गारंटी न दी जाए। महोदय, मुझे प्रत्येक विषय के बारे में संक्षेप में बोलने की अनुमति दीजिए।

सड़कें

ये 48 परियोजनाएं, जिनकी कुल लंबाई 10,000 किलोमीटर है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अतिरिक्त हैं। इनका निर्धारण वहां किया गया है जहां ट्रैफिक की अधिकता के कारण सड़क को चार लेन वाला बनाया जाना न्यायसंगत हैं इन परियोजनाओं को निर्माण-प्रचालन-तथा-अंतरण (बीओटी) आधार पर वित्तपोषित किया जाएगा जिसके अंतर्गत सरकार केवल प्रत्याशित राजस्व तथा ऋण पुन: अदायगी देयताओं के बीच की कमी को पूरा करने के लिए वार्षिकी प्राप्ति के रूप में सब्सिडी प्रदान करेगी। पहले वर्ष अर्थात् 2003-04 के दौरान कम से कम 3,000 किलोमीटर सड़कों, जो इन 48 परियोजनाओं का लगभग एक तिहाई हिस्सा है, को चार लेन वाला बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा।

राष्ट्रीय रेल विकास योजना

राष्ट्रीय रेल विकास योजना, जिसके बारे में मेरे प्रतिष्ठित सहयोगी, माननीय रेल मंत्री ने हाल ही में बताया था, स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को आरंभ करे। इनकी परियोजनाओं को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 3,000 करोड़ रुपए की इक्विटी तथा 5,000 करोड़ रुपए के ऋणों के द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। यह एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) बाजार से ऋण जुटाएगा। ऋण की वापसी अदायगी शोधन अवधि में रेलवे प्राप्तियों के निर्धारण द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित सुरक्षा उन्नयन कार्यक्रम को भी शुरू किया जाएगा।

विमानपत्तन

प्रमुख विमानपत्तनों को पट्टे पर देने संबंधी मौजूदा पहलों तथा बंगलौर और हैदराबाद में दो निजी विमानपत्तनों की स्थापना के अलावा, अब दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण करने के लिए भारत में अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के प्रधान केन्द्र के रूप में चलाने का निश्चय किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पूर्वी भारत क्यों नहीं? ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : जी हां, महोदय, हम करेंगे...*(व्यवधान)* विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रारंभिक समान इक्विटी सहभागिता के साथ दो पृथक कंपनियों का गठन किया जाएगा।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : कोलकाता विमानपत्तन का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : चेन्नई विमानपत्तन का क्या हुआ?

श्री ए०के०एस० विजयन (नागापट्टिनम) : चेन्नई विमानपत्तन का क्या हुआ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाए रखिए। वित्त मंत्री को अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरी पहली घोषणा को माननीय सदस्यों ने इतना अधिक पसंद किया है कि वे अब इसे अन्य क्षेत्रों के लिए भी चाहते हैं। हम सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करेंगे। ये दो कम्पनियां सयुंक्त उद्यम में भागीदार बन सकती हैं। पूर्ण होने पर नियमों के अनुसार प्रबंधन पट्टे पर दिया जा सकता है।

समुद्रपत्तन

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी), नवी मुम्बई और कोचीन पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्मित करने हेतु इनके संबंध में व्यापक आधुनिकीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाने का प्रस्ताव है। जेएनपीटी तथा कोचीन पत्तनों का तलकर्षण तथा आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। इन परियोजनाओं जो लगभग तैयार हो चुकी है, की लागत 7,500 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। दो पत्तन प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रयोक्ता प्रभारों तथा तलकर्षण और आधुनिकीकरण की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद प्राप्त अतिरिक्त सीमाशुल्क से ऋणशोधन दायित्वों को पूरा करने की आशा है। यहां सरकार किसी भी संभाव्य गिरावट को पूरा करने हेतु केवल व्यवहार्य पूरक निधि ही उपलब्ध कराएगी।

कन्वेंशन सेंटर

देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कन्वेंशन सेंटरों के अभाव को दूर करने के लिए, सरकार निजी-सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से ऐसे दो केन्द्रों की स्थापना करने में सक्षम होगी। इसमें सरकार केवल व्यवहार्य पूरक निधि को पूरा करेगी।

48 सड़क परियोजनाओं, राष्ट्रीय रेल विकास योजना, दो विमानपत्तन, दो समुद्रीपत्तन और दो कन्वेंशन सेंटरों के संबंध में सरकार की ओर से प्रारंभिक अंशदान के रूप में 2,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। प्राप्ति आधार पर, इन सभी परियोजनाओं के संबंध में औसत वार्षिक वचनबद्धता व्यवहार्य पूरक निधि पोषण आधार के तहत मध्यकालिक रूप में लगभग 2,000 करोड़ रुपए प्रति वार्षिक होने का अनुमान है जिसकी पूर्ति रेलवे तथा सरकार के बजटों से वार्षिक तौर पर की जाएगी।

ग्रामीण सड़कें

मैं यहां ग्रामीण सड़को के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत डीजल पर 50 प्रतिशत उपकर निर्धारित करके ग्रामीण सड़कों को निधि प्रदान करने की स्कीम की सफलता से प्रोत्साहित होकर, यह प्रस्ताव है कि ग्रामीण सड़कों के संसाधनों में वृद्धि की जाए। तदनुसार, वर्ष 2003-04 के लिए डीजल पर मौजूदा उपकर से प्रत्याशित 2,325 करोड़ रुपए आबंटन करने के अलावा, ग्रामीण सड़कों के लिए डीजल पर 50 पैसे प्रस्तावित अतिरिक्त उपकर से अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

विद्युत

जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि विद्युत विधेयक, 2001 लोकसभा में अगस्त, 2001 को लाया गया था और साथ ही इसे ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की जांच के लिए भेजा गया था। इस समिति की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है। इस विधेयक में विद्युत क्षेत्र में हमारे सुधारों तथा पुनर्संरचना के लिए कानूनी ढांचे तथा प्रशासनिक पहलुओं के सरलीकरण की व्यवस्था करना निहित है। अब हमें इस विधेयक पर शीघ्र विचार करना चाहिए।

विद्युत वितरण में सुधार पर बल के साथ-साथ क्षमता बढ़ाने पर हमारा ध्यान है। सरकार ने पहले 1999 में 18 विद्युत परियोजनाओं को बड़ी परियोजनाओं के रूप में अधिसूचित किया था जिन्हें ऊपर अनेक शुल्क व लाईसेंसिंग लाभ दिये थे। सरकार अब किसी भी विद्युत परियोजना को, जो बड़ी विद्युत परियोजनाओं के लिए पहले से निर्धारित शर्तों को पूरा करती हो, इन सभी लाभों का विस्तार करते हुए बड़ी विद्युत परियोजना नीति को और उदार बनाने का प्रस्ताव करती है।

दूसरी, विद्युत क्षेत्र में पारेषण के महत्व को देखते हुए यह प्रस्ताव है कि उच्च वोल्टेज पारेपण परियोजनाओं के लिए कतिपय उपस्करों पर से सीमा शुल्क घटाकर 25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया जाए।

जीवाश्म ईंधन के विकल्पों के रूप में सौर ऊर्जा, पवन टरबाइन और हाईड्रोजन ईंधन में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु सरकार इन तीनों क्षेत्रों में प्रोत्साहन प्रेरित अनुसंधान शुरू करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को विशेष रूप से 20 करोड़ रुपए आबंटित कर रही है।

पेयजल

महोदय, पेयजल के लिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति आधार संरचना विकास का एक अनिवार्य घटक है। संयंत्र और मशीनरी तथा भवन जिनमें ऐसे संयंत्र और मशीनरी लगे हैं तथा जो किसी जलापूर्ति परियोजना या जल शोधन प्रणाली के भाग हैं, उन्हें 100 प्रतिशत की दर पर मूल्यास देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जलापूर्ति परियोजनाएं पूंजीगत सामान और मशीनरी के संबंध में सीमाशुल्क व उत्पाद शुल्क दोनों से अब पूर्णतया मुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, स्रोत से शोधन संयंत्र

तक कच्चा पानी लाने और साधित जल को भंडारण स्थल तक ले जाने के लिए पाईपों को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि इससे देश में स्वच्छ पीने के पानी की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए नई जल शोधन व आपूर्ति परियोजनाओं को और प्रोत्साहन मिलेगा।

राजकोषीय मजबूती एवं ऋण पुनर्संरचना के बारे में तीसरी प्राथमिकता मैं पहले ही कह चुका हूं कि अपने विकास को बनाए रखने के लिए राजकोषीय मजबूती आवश्यक हैं। सरकार ने विकास को बढ़ावा देने के साथ वृहद् आर्थिक स्थायित्व का पोषण किया - इससे मुद्रास्फीति कम हुई और सुदृढ़ भुगतान संतुलन की स्थिति बनाए रखी। ऐसा अभूतपूर्व सूखे का सामना करते हुए ही नहीं बल्कि ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था जहां विकास ''शिथिल'' हो, अनिश्चितता अधिक हो और तेल की कीमतें ऊंची हों, ऐसा किया गया है। हमने चक्रियरोधी नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता के साथ राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता का सावधानी से संतुलन बनाया है। इसके साथ ही जैसा कि मैंने कहा, सरकार आधुनिक कर प्रशासन के तहत राजस्व बढ़ाकर व व्यय के यौक्तिकीकरण के माध्यम से बजटीय कठिनाईयों को पूर्णतया समाप्त करने, स्वयं निर्मित जाल से छुटकारा पाने और राजकोषीय मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प है।

अत:, नकदी प्रबंध के बारे में

समुचित नकदी प्रबंध, व्यय प्रबंध के लिए अनिवार्य है। वर्तमान में हमारी प्रणाली में कोई प्रभावशाली नकदी प्रबंध नहीं है क्योंकि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करते ही मंत्रालयों के पास निर्धारित सीमा तक के बजट की नकदी उपलब्ध हो जाती है। अत: सरकार अब बड़े खर्च करने वाले कुछ मंत्रालयों में प्रायोगिक आधार पर वर्ष के भीतर उपलब्ध संसाधनों के साथ समाभिरूपता की अनुमति देते हुए विभाजित समय में बजटीय आबंटन जारी करते हुए नकदी प्रबंध की शुरूआत करने का प्रस्ताव करती है। मंत्रालयों की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर मासिक अथवा त्रैमासिक नकदी सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। इससे प्राप्तियों और व्यय की बेमेलता से बचा जा सकेगा और व्यय की अधिकता तथा अंतिम तिमाही में संभावित संसाधनों के अपव्यय से बचा जा सकेगा।

विदेशी ऋण के समयपूर्व भुगतान के लिए केन्द्रीय स्तर पर 2002-03 में 115,663 करोड़ रुपए के ब्याज भुगतान अनुमानित हैं जो सरकार की राजस्व प्राप्तियों के 48.8 प्रतिशत के बराबर है। भारत सरकार के बकाया ऋण पर औसत ब्याज की दर 11 प्रतिशत से गिरकर 9.4 प्रतिशत हो गई है। परन्तु अध्यक्ष महोदय, पूर्व में उच्च लागत वाले ऋण की परम्परा के कारण ब्याज लागत में यह कमी पर्याप्त नहीं हैं, यह ब्याज की बाजार दरों में हुई गिरावट के अनुरूप नहीं है। इसलिए सरकार ने पहले ही तीन मोर्चों पर कार्य करना शुरू कर दिया है।

पहला, सरकार ने अपने समुचित विदेशी मुद्रा भंडारों और न्यून घरेलू ब्याज दरों का लाभ उठाते हुए विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक के कुल लगभग 3 बिलियन डालर की उच्च लागत के मुद्रा पूल ऋणों का समय से पहले भुगतान कर दिया है। हमारा इरादा विदेशी देनदारियों के विवेकपूर्ण प्रबंधन की नीति को जारी रखना और हमारे विदेशी ऋण पोर्टफोलियो के अपेक्षतया उच्च लागत के हिस्से को सक्रिय रूप से समाप्त करने का है।

केन्द्र सरकार के घरेलू ऋण

दूसरा, केन्द्रीय सरकार के घरेलू ऋण की बैंक धारिता का बहुत बड़ा हिस्सा गत समय की उच्च ब्याज संरचना के अधीन संकुचित हो गया है और व्यापार बहुत कम होता है। ब्याज दरों के उदार होने के साथ साधारणतया ऐसे ऋणों को उनके अंकित मूल्य की तुलना में प्रीमियम नियंत्रण में रखना चाहिए। वास्तव में बैंक सीमित नकदीकरण के कारण इसे भुनाने में प्राय: असमर्थ रहते हैं। इसलिए सरकार अब उन बैंकों से जिन्हें नकदी की अथवा अन्यथा भी अपने तुलन पत्र में सुधार करने के लिए अपने गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान करने हेतु प्रीमियम का नकदीकरण करने की आवश्यकता है, संपूर्णरूप से स्वैच्छिक आधार पर ऐसे ऋणों को वापस खरीदने का प्रस्ताव करती है। प्रस्तावित प्रीमियम पारदर्शी आधार पर तय किया जाएगा। यदि बैंक आयकर के प्रयोजनार्थ प्राप्त प्रीमियम को व्यवसाय आय घोषित करते हैं तो उन्हें उस सीमा तक अतिरिक्त छूट की अनुमति होगी जहां तक ऐसी आय उनके गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की व्यवस्था के लिए प्रयोग की गई हो।

राज्य सरकारों के ऋण

यह राज्य सरकारों के ऋण की पुनर्संरचना है। हम यह तीसरा कदम उठा रहे है अध्यक्ष महोदय, बारहवां वित्त आयोग भी राज्यों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन करेगा और आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाएगा। इस बीच, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने पारस्परिक रूप से ऋण अदला-बदली योजना शुरू करने पर सहमति दी है। राज्यों की तरफ भारत सरकार के 2,44,000 करोड़ रुपए के कुल ऋण स्टाक में से 1,00,000 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक पर 13 प्रतिशत से अधिक की कूपन दर लगती है जो वर्तमान बाजार दरों से काफी अधिक है। इसके परिणामस्वरूप राज्यों का ब्याज भार अब उनके लिए व्यय की एक बड़ी मद हो गई है और उनके पास नियमित प्रयोजनों के लिए भी बहुत थोड़ा ही बचता है।

अत:, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ऋण अदला-बदली योजना राज्यों को उच्च लागत के ऋणों की समय पूर्व अदायगी में समर्थ बनाएगी और इनके स्थान पर चालू न्यून-कूपन वाले लघु बचत तथा खुले बाजार के ऋण लाये जायेंगे। अठाईस राज्यों में से छब्बीस राज्यों ने चालू वर्ष से ही इस योजना में भाग लेने की सहमति दी है जबकि शेष दो अगले वर्ष से इसमें शामिल होंगे।

वर्ष 2004-05 में समाप्त हो रही तीन वर्ष की अवधि में राज्यों द्वारा भारत सरकार से लिए गए 13 प्रतिशत से अधिक की कूपन दर वाले सभी ऋणों की अदला-बदली हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, ऋणों की शेष परिपक्वता अवधि में राज्य ब्याज और आस्थगित ऋण वापसी-अदायगियों में कम से कम अनुमानत: 81,000 करोड़ रुपए बचाएंगें और समान रूप से महत्वपूर्ण यह योजना, अल्प बचत योजना के माध्यम से राज्यों में ऋणों की बढ़ोतरी रोकेगी।

कृषि

अब मैं कृषि पर आता हूं कृषि-देश को समुचित खाद्य सुरक्षा देने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। यह अब एक बार फिर महत्वपूर्ण निर्णय की स्थिति में है जो विविधीकरण और मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने की तैयारी में है। इसे भूमि क्षरण और जल ठहराव जैसे दूसरी पीढ़ी के मुद्दों पर दृढ़ता के साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता हैं। विविधीकरण, बाजार शक्तियों के साथ कदम मिलाना और प्रगतिशील प्रौद्योगिकियों को तेजी के साथ अंगीकार करना अन्य आवश्यकताएं हैं।

अध्यक्ष महोदय, भारत के पास विश्व में सबसे अधिक सिंचित व कृषि योग्य भूमि है; हमारी सकल कृषि योग्य भूमि संयुक्त राज्य अमरीका के बाद दूसरे स्थान पर हैं। हमें इन तथ्यों के अनिवार्य महत्व को समझना चाहिए; इन दोनों को महत्व नहीं दिया गया हैं और यह अप्रयुक्त परिसंपत्ति हमारे महान भंडार हैं। अब हमें इनको पूरा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

अत:, बागवानी, पुष्पकृषि, आदि में विविधता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लाभकारी कृषि बागवानी में विविधता से प्रत्याशित लाभ मिलता है चूंकि यह सकल घरेलू उत्पाद, तथा खाद्य व पोषणिक सुरक्षा दोनों में महत्वपूर्ण योगदान करते है , इसे ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष में यह प्रस्ताव है कि हाई-टेक बागवानी और अच्छे परिणाम देने वाली खेती बाड़ी के संबंध में एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की जाए। उर्वरता, जैव-प्रौद्योगिकीय औजारों का प्रयोग, हरित खाद्य उत्पादन और हाई-टेक ग्रीन हाउस जैसे हाई-टेक प्रयोग इस स्कीम के प्रमुख संघटक होंगे। इन प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन सहित भूमि, जल, सूर्य की रोशनी, समय जैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग वाली अच्छे परिणाम देने वाली कृषि प्रौद्योगिकी को लागू करना इस योजना का भाग होगा। मैं प्रारंभ में इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था का प्रस्ताव करता हूं।

चीनी

चीनी उद्योग की स्थिति सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। फैक्ट्रियों में भंडारों के जमा हो जाने के साथ-साथ किसानों द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ने के भुगतान के बढ़ते हुए बकाया की स्थिति मंद उदार बाजार दशाओं के परिणामस्वरूप हैं इसके आर्थिक और सामाजिक दोनों परिणाम हैं। किसानों व उद्योग दोनों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों को मार्जिनों में कमी को मध्यम-अवधि के कार्यशील पूंजी ऋणों में बदलने के पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं बशर्ते कि वह समुचित सुरक्षा अथवा राज्य सरकारों की गारंटियां प्रस्तुत करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये अनुदेश भी जारी किए हैं कि मध्यावधिक ऋणों की वापसी-अदायगी की अवधि बढ़ाकर 9 वर्ष कर दी जाए। इसके अतिरिक्त, खाद्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय संयुक्त रूप से चीनी उद्योग की समस्याओं का तत्कालिकता के आधार पर समाधान करेंगे और इस महत्वपूर्ण कृषि-उद्योग के लिए एक व्यापक स्कीम का शीघ्र प्रस्ताव करेंगे।

बागान

हमारे बागान क्षेत्र का एक सौ पचास वर्ष पुराना कृषि-उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्य अस्थिरता के कारण कठिन दौर से गुजर रहा है। सरकर ने चाय, काफी और रबड़ जैसी बागानी फसलों के लघु व सीमांत किसानों को राहत पहुंचाने, कठिन अवधि का सामना करने के लिए इन क्षेत्रों की सहायता करने हेतु पहले ही अनेक उपाय किए हैं।

छोटे उत्पादकों को आय के संदर्भ में स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने 2003-04 से चाय, काफी और प्राकृतिक रबड़ के उत्पादकों के लाभ के लिए 500 करोड़ रुपए की ''मूल्य स्थिरीकरण निधि'' की घोषणा की हैं यह निधि वर्ष 2003-04 में शुरू हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त, मैं चाय पर 1 रुपया प्रति किलोग्राम के उत्पाद शुल्क को समाप्त करने तथा इसके स्थान पर चाय बागान क्षेत्र के विकास, आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास के लिए अलग निधि के सृजन हेतु 1 रुपया प्रति किलोग्राम का उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस उपाय से चाय उद्योग पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा बल्कि इस उद्योग की सहायता के लिए यह शुल्क को नया रूप देगा। इसके अलावा, अब से काफी बागान चाय की तरह ही विकास खाते में जमा राशियों पर आय कर से छूट के पात्र होंगे।

महोदय, पशुपालन और पशु चिकित्सा के संबंध में भारत के पास विश्व में सर्वाधिक पशुधन है; यह विश्व में किसी अन्य देश से अधिक दुग्ध उत्पादन करता है; यह विश्व में दूसरा सबसे अधिक बकरियों और भेड़ों की संख्या वाला देश हैं। ये बड़ी परिसंपत्तियां हैं और इसके अतिरिक्त, पशुपालन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में लगभग 20 मिलियन नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराता है। परन्तु हमारे पशुधन की गुणवत्ता गिर रही है। इसलिए हमारे पशुधन के स्वास्थ्य को सुधारने और पशुपालन व डेयरी को बढ़ावा देने के लिए मैं विशिष्ट पशु चिकित्सा की दवाओं पर प्राथमिक शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं और समुद्री खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मैं श्रिम्प लार्वा फीड पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और इसे सीवीडी से मुक्त करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

इस तरह, एक अन्य कठिनाई जिसका सामना किया जा रहा है, समुचित ऋण की समय पर उपलब्धता है जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि के विकास के लिए अत्यधिक महत्व है। वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक और ऋण सहकारी समितियां, मुख्यतया सरकार द्वारा प्रोत्साहित होकर, यह कार्य करती हैं। मैं इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं। हम ऐसी प्रणाली नहीं रख सकते जिसमें खेती उपस्कर या ट्रैक्टरों की तुलना में मोटर कारों के लिए ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध हो। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकशील मानदंडों व अनुमोदनों की शर्त के अधीन, खेती व खेती-भिन्न दोनों क्षेत्रों की सेवा करने के लिए अब से आगे निजी बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं हमारे डाकखानों के माध्यम सहित कृषि ऋण देने के अधिकार के पूरे प्रश्न की नए सिरे से जांच भी करूंगा।

ब्याज की घटती हुए दरों का पूरा लाभ कृषि और लघु उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा है। इसे तत्काल ठीक करना होगा। इसलिए, कृषि और लघु क्षेत्र को न्यून ब्याज दरों का लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने प्रतिभूतित अग्रिमों के लिए अपनी मूल उधार दर में 2 प्रतिशत न्यूनाधिक की ब्याज दर समूह की घोषणा की है। भारतीय बैंक संघ अब अपने सभी सदस्य बैंकों को सलाह दे रहा है कि इसी तरह की ब्याज दर संरचना अपनाएं। यह स्वागत योग्य कदम हैं। इसके पश्चात कृषि और लघु उद्योग को सर्वोत्तम बैंक ग्राहकों की तुलना में अतिरिक्त 2 प्रतिशतांक से अधिक भुगतान नहीं करना होगा।

मैं पुरजोर सिफारिश करना चाहता हूं कि "नाबार्ड" द्वारा पिछले दस वर्षों से प्रचारित स्व सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम को विश्व में सबसे बड़े और तेजी से बढ़ रहे वृहद्-वित्त कार्यक्रम के रूप में मान्यता मिली है। चालू वर्ष के दौरान 1.25 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण उपलब्ध कराना हमारी प्रत्याशा से अधिक रहा है और जनवरी, 2003 तक 1.50 लाख नए स्व सहायता समूहों के माध्यम से लगभग 25 लाख गरीब परिवारों को पहले ही 598 करोड़ रुपए के बैंक ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम ने महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया को भी गति प्रदान की हैं। फिर भी, पूरे देश में इस कार्यक्रम की उपलब्धता असमान और कुछ राज्यों तक सीमित रही हैं। मैं सभी राज्यों से आग्रह करता हूं कि स्व-सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम की व्यापक संभव सफलता के लिए उत्साहपूर्वक हमारे प्रयास में शामिल हों।

माननीय सदस्य निस्संदेह प्रशंसा करेंगे कि तेल के मोर्चे पर भारी अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने समग्र रूप से कच्चे तेल की मूल्य वृद्धि को सहन कर लिया है। अब नेफ्था और गैस पूर्ति भंडार में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत कम से कम उर्वरक सब्सिडी को नियंत्रण में लाना होगा। इसलिए उर्वरकों का निर्गम मूल्य प्रति 50 किलोग्राम बैग यूरिया के लिए 12 रुपए तथा डी०ए०पी० व एम०ओ०पी० के लिए 10 रुपए की मामूली धनराशि बढ़ाई जाएगी। मिश्रित उर्वरकों के मूल्य भी समुचित रूप से संशोधित किए जाएगें।

जल प्रबंधन

ड्रिप सिंचाई

महोदय, हाल के सूखे ने हमारे जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता की ओर अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया है। भू और जल संसाधनों के संरक्षण हेतु पहले ही अनेक उपाय शुरू किए गए हैं। राज्यों को ड्रिप और छिड़काव सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया हैं। परन्तु इन प्रयासों में तेजी लानी होगी। इसलिए, आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक सदस्य के रूप में दूसरे राज्य के कृषि मंत्री, के साथ एक द्विदलीय कार्य दल गठित किया जाएगा, जो इस समय ड्रिप सिंचाई के विस्तार के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा करेगा और बाद में सुरक्षा उपाय भी सुझाएगा ताकि वांछित लाभ वास्तव में लक्षित समूह तक पहुंच सकें।

नदियों को आपस में जोड़ना

स्वतंत्रता प्राप्ति से ही जल संसाधन क्षेत्र में प्रमुख घटनाक्रमों के बावजूद देश वास्तव में बाढ़-सूखा-बाढ़ की स्थिति से नहीं उबरा हैं। यह मुख्यतया अन्य कारकों के साथ तीन मुख्य कारकों अर्थात् दोषपूर्ण जल प्रबंधन पद्धतियों, देश में सिंचाई स्रोतों का असंतुलित विकास और जल स्रोतों के अत्यधिक असमान वितरण के कारण है।

नदियों को आपस में जोड़ने के प्रस्ताव को शीघ्र पूरा करने के

लिए प्रधानमंत्री ने एक कार्यदल की नियुक्ति की है जो जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के स्थानान्तरण और शीघ्र कार्यान्वित किए जा सकने वाले प्राथमिकता संपर्कों का पता लगाने तथा साथ ही उनकी स्वीकृति और निधिपोषण के लिए कार्यप्रणालियों पर राज्यों के बीच सहमति कराने के लिए कार्यपद्धतियों का सुझाव देगा। इस कार्यदल के लिए समुचित परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, किसान मर रहा हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है।...*(व्यवधान)* मेरे महाराजगंज क्षेत्र में तीन लोग पुलिस की गोली से मर गए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : ये किसान को मार डालने का प्रयास है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, आप बैठिए। मंत्री महोदय, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय, कृपया अपनी बात जारी रखिए।

मरूस्थल चरागाह विकास

श्री जसवंत सिंह : राजस्थान के मरूस्थलीय जिलों में एक विशेष कार्यक्रम मरू गोचर योजना शुरू करने का प्रस्ताव हैं। यह कार्यक्रम पारम्परिक जल स्रोतों की बहाली के लिए तथा प्रभावी सूखा रक्षण के अन्य उपाय करने के लिए केन्द्रीय योजना के रूप में प्रत्येक अभिज्ञात जिले में कम से कम एक वृहद् चरागाह नर्सरी विकसित करके पारम्परिक चरागाह ''ओरान'' अथवा ''गौचर'' की पुनःस्थापना का प्रावधान करेगा। इसके कार्यान्वयन हेतु कार्यपद्धतियां तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यदल गठित किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ तीन वर्षों की अवधि में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी जिसमें राज्य सरकार का अंशदान मात्र एक-चौथाई होगा। वर्ष 2003-2004 के लिए इस प्रयोजनार्थ 50 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा।

मैं मानता हूं कि मुझे इस विशेष योजना में रूचि है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अन्य स्थानों को मरूस्थल बना रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : यह मरूस्थल विकास कार्यक्रम राजस्थान तक सीमित न रहकर भारत में सभी डी०डी०पी० जिलों में लागू किया जाना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह : अब मैं उद्योग पर आता हूं जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, चालू वर्ष में अब तक सूखे के कारण कृषि में गिरावट के बावजूद उद्योग ने समग्र वृद्धि को बढ़ावा दिया हैं। इसलिए हमें इन अनुलाभों को सुदृढ़ करना होगा और पिछली कुछ तिमाहियों में प्रदर्शित सशक्त औद्योगिक वृद्धि करनी होगी।

निवेश को बढ़ावा देना : लाभांश और पूंजी अनुलाभों के संबंध में कर-सुविधा

इसके लिए हमें औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और ऋण तथा इक्विटी बाजारों में सुधार की आवश्यकता हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं छोटे निवेशकों का विश्वास बहाल करते हुए उन्हें इक्विटी बाजारों में वापस लाने के लिए भी प्रतिबद्ध हूं।

लाभांश वितरण कर

अतः प्रस्ताव किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2003 से शेयरधारकों के लिए लाभांश कर-मुक्त होगा। तद्नुरूप घेलू कंपनियों पर 12.5 प्रतिशत लाभांश वितरण कर लगाया जाएगा। जबकि म्यूचुअल फंड, यूटीआई-II सहित जिसे यूटीआई म्यूचुअल फंड पुनर्नामित किया गया है, भी लाभांश वितरण कर का भुगतान करेंगे, यह प्रस्ताव है कि इक्विटी वाली स्कीमों को एक वर्ष के लिए कर की परिधि में नहीं लाया जाएगा। तथापि, यूटीआई-I को लाभांश वितरण कर से छूट दी जाएगी।

दीर्घावधिक पूंजी अनुलाभ कर

पूंजी बाजारों को और बढ़ावा देने के लिए 1 मार्च, 2003 को अथवा उसके बाद अधिगृहित और एक वर्ष अथवा अधिक बीतने के बाद बेचे गए सूचीबद्ध सभी इक्विटी को अब पूंजी अनुलाभ कर से छूट देने का प्रस्ताव हैं। इसलिए दीर्घावधिक पूंजी अनुलाभ कर इसके बाद के ऐसे लेन-देनों के लिए लागू नहीं होंगे। इस प्रस्ताव से इक्विटी में निवेश को सुविधा मिलेगी। फिर भी, मैं अगले बजट में इस छूट के प्रभावों की पुनः जांच करूंगा और तब तक योजना लागू रहेगी।

शेयर बाजार

मेरे पूर्व सहयोगी ने पहले ही घोषणा की थी कि शेयर बाजारों

की संरचना कारपोरेट स्वरूप की होगी। इसे प्रभावी बनाने हेतु प्रतिभूति नियंत्रण तथा विनियमन अधिनियम में आवश्यक संशोधनों को चालू सत्र में लाने का प्रस्ताव है। निवेशक के विश्वास को बढ़ाने की दृष्टि से, इन शेयर बाजारों के स्वामित्व को उनके प्रबंधन से पृथक करना आवश्यक है जिसके परिणामस्वरूप पृथक्करण होगा। निगमीकरण अथवा पृथक्ककरण की प्रक्रिया में यह संभव है कि पूंजी लाभों की प्राप्ति हो। इसलिए, एकबारगी उपाय के रूप में, ''सेबी'' द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार शेयर बाजारों के निगमीकरण अथवा पृथक्ककरण के समय अनुलाभों में बढ़ोतरी होगी और उसके बाद परिणामी लेन-देनों को पूंजीगत अभिलाभ कर से पूर्णतया छूट प्रदान की जाएगी।

अनुसंधान तथा विकास

माननीय सदस्यगण, जैसाकि मैंने पहले कहा कि ज्ञान ही उद्योग है और यह बात विशेष रूप से उस समय सही साबित होती है जब हमारा प्रयास सामान्य रूप से सभी पहलुओं परन्तु विशेष रूप से उत्पाद डिजाइन तथा गुणवत्ता की दृष्टि से सर्वोत्तम हो। अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, 31 मार्च, 2004 तक स्थापित अनुसंधान तथा विकास में रत कंपनियों के संबंध में करावकाश को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है।

वस्त्र उद्योग

उद्योग के क्षेत्र में, वस्त्र उद्योग देश में सर्वाधिक रोजगार प्रदायक क्षेत्र हैं यह पर्याप्त मात्रा में हमारे निर्यातों को बढ़ाने में भी योगदान देता है। इसलिए वस्त्र उद्योग क्षेत्र के संबंध में मेरे प्रस्तावों का मुख्य जोर संयत दर संरचना पर होगा जो अनुपालन को प्रोत्साहन देने हेतु ''सेनवेट'' श्रृखला को पूरी कर सके, आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे और अपवंचन समाप्त कर सके। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रोत्साहन पैकेजों के रूप में निम्नलिखित उपाय करना प्रस्तावित है :

- पोलिस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क को 32 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत करना;
- सभी स्पन तथा अन्य फिलामेंट यार्नों पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करना;
- केवल विशुद्ध कॉटन यार्न के संबंध में 8 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क को बनाए रखना;
- सभी बुने हुए सूती-वस्त्रों तथा परिधानों पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करना;
- हाथ तथा मशीनों से बुनाई वाले सभी कपड़ों पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना;
- कपड़ों पर उत्पाद शुल्क को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना;
- सभी बुने तथा असंसाधित बुने कपड़ों पर मिली छूट को वापस लेना;
- डीम्ड क्रेडिट की स्कीम को हटाना ताकि ''सेनवेट'' श्रृंखला को पूरा किया जा सके;
- हाथ से संसाधित कपड़ों पर छूट को बनाए रखना लेकिन यह छूट तभी मिलेगी जबकि किसी भी संसाधित प्रक्रिया में किसी विद्युत अथवा भाप का उपयेग न किया गया हो;
- हैंडलूम कपड़ों, रेशमी, खादी तथा पोलिवस्त्रों के संबंध में मौजूदा छूटों को जारी रखना; और
- पेराक्सिलीन पर मूल सीमाशुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रबिशत करना।

विकेन्द्रीयकृत क्षेत्र की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा ताकि उजरती कार्य करने वालों को किसी केन्द्रीय उत्पाद अभिलेखों को रखने अथवा यहां तक केन्द्रीय उत्पाद पंजीकरण से छूट प्रदान की जा सके। लाभ न कमाने वाली चेरिटेबल संस्थाओं द्वारा विनिर्मित वस्त्र और परिधानों को उत्पादशुल्क से छूट मिलती रहेगी।

जहां तक सीमाशुल्कों का संबंध है, परिधान ग्रेड कच्चे ऊन पर शुल्क को अब 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा। साथ ही, वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रोत्साहन के लिए, वस्त्र उद्योग मशीनरी तथा उनके कलपुर्जों की बड़ी संख्या पर सीमाशुलक को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर मात्र 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही साथ पावरलूम को सहायता प्रदान करना भी आवश्यक हैं। इस विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के लिए, ''आधुनिकीकरण हेतु पावरलूम पैकेज'' प्रदान करके बुनाई क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का सूत्रपात कर मौजूदा कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस पैकेज की निम्नलिखित तीन विशेषताएं होंगी।

पहला, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम का पावरलूम के आधुनिकीकरण हेतु विस्तार किया जाएगा।

दूसरा, बेहतर-कार्य दशाएं सृजित करने तथा अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए, वस्त्र मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग

से एक नई पावरलूम वर्कशेड स्कीम प्रारंभ की जाएगी। मौजूदा पावरलूम समूहों के अन्य ढांचागत सुधार को संशोधित वस्त्र उद्योग क्षेत्र ढांचागत विकास स्कीम के अन्तर्गत चलाया जाएगा।

तीसरा, कल्याण उपाय के तौर पर, सभी पावरलूम कामगारों को विशेष बीमा स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा जो कामगारों को मृत्यु, दुर्घटना तथा अपंगता की स्थिति में बीमा कवच प्रदान करेगी।

वस्त्र उद्योग में रूग्णता को रोकने की आवश्यकता को महत्व देते हुए, सरकार व्यवहार्य तथा संभाव्य रूप से चल सकने योग्य वस्त्र इकाइयों के ऋण-पोर्टफोलियो की पुनर्संरचना हेतु एक कार्यप्रणाली पर विचार कर रही हैं। इसके ब्यौरे सभी पणधारियों के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाएंगे।

फार्मास्यूटिकल्स

स्वास्थ्य देखभाल के अन्तर्गत सूचीबद्ध समस्त लाभ फार्मास्यूटिकल्स उद्योग को भी बढ़ावा देंगे। इसके अलावा, फार्मास्यूटिकल्स जैव-प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में समान रूप से आयकर रियायतें दी जाएंगी। सभी औषधियां तथा सामग्री जिन्हें क्लिनिक परीक्षणों के लिए घरेलू तौर पर आयातित या उत्पादित किया जाता है, उन्हें सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्कों से छूट प्राप्त होगी। उद्योग द्वारा संदर्भ मानकों के आयात पर सीमा शुल्क 25% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

सूचना प्रौद्योगिकी भारत की प्रत्यक्ष सफलता की कहानी हैं। हमने न केवल इसके विकास की रफ्तार को बनाए रखा है बल्कि इसे निरंतर प्रोत्साहित भी किया है। इसलिए, जैसी मूल रूप से संकल्पना की गई थी, उसी के अनुरूप आयकर अधिनियम की धारा 10क तथा 10ख के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी की प्रदत्त रियायतें जारी रखने का प्रस्ताव किया जाता है। कानून के अनुसार ऐसी कंपनियां जो इस समय इन कर रियायतों के अन्तर्गत आती हैं वह अपने स्वामित्व अथवा शेयरधारिता में परिवर्तन की स्थिति में लाभों से वंचित हो जाती हैं। मेरे विचार से यह न्यायसंगत नहीं हैं। इसलिए मैं इन प्रतिबंधों को हटा रहा हूं; आमेलन अथवा पृथक्करण की स्थिति में भी ऐसी कर रियायतों का लाभ मिलता रहेगा।

एक अन्य विसंगति कम्प्यूटरों के मामले में पहले से लोड किए साफ्टवेयर पर उत्पाद शुल्क लगाना हैं। चूंकि साफ्टवेयर को पहले ही उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है। मैं कोई ऐसा कारण नहीं देखता कि इस लाभ की मनाही सामान्यत: इस वजह से की जाए की यह कम्प्यूटर में लोड किया जाता है। अब पहले से लोड साफ्टवेयर के मूल्य को कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ हटा लिया जाएगा।

आईटी उद्योग के संबंध में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटकों के संबंध में सीमा शुल्क को हमारी डब्ल्यूटीओ वचनबद्धता के अनुरूप घटाया जा रहा है।

इसके अलावा, दूरसंचार तथा आईटी सेक्टर द्वारा संघटकों के निर्माण हेतु उपयोग में लाई जा रही कई पूंजीगत वस्तुओं पर सीमाशुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा। आईटी समुदाय को बैंडविथ उपलब्ध कराने हेतु नेटवर्किंग के संबंध में व्यापक उपयोग में आने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबिल्स के लिए भी सीमाशुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा हैं। घरेलू उद्योग को ऑप्टिकल फाइबर बनाने हेतु प्रयुक्त ई-ग्लास रोविंग के विनिर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए ई-ग्लास रोविंग के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट कच्चे मालों पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

दूर-संचार तथा स्वदेशी उपग्रह सेवा कंपनियां करावकाश का लाभ प्राप्त करती हैं। चूंकि ऐसी परियोजनाओं के मूर्त रूप लेने में काफी अधिक समय लगता है, इसलिए मैं इकाईयों की स्थापना में निर्धारित समय सीमा को 31 मार्च, 2004 तक और एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

जैव-प्रौद्योगिकी

जैव-प्रौद्योगिकी जहां हमारे आज का उदीयमान उद्योग है, वहां यह आने वाले कल का प्रतिष्ठित उद्योग होगा। सरकार ने जैव-प्रौद्योगिकी तथा फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्यों में लगी इकाइयों को सुविधा प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट उपस्करों के संबंध में सीमा शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु 20 करोड़ की न्यूनतम निर्यात दायित्व के मौजूदा प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है। साथ ही, पहले वर्ष की निर्यात मात्रा के केवल 1 प्रतिशत तक सीमित पूर्ण छूट के प्रतिबंध को अनुसंधान तथा विकास में लगी इकाइयों के संबंध में भी हटाया जा रहा है। इसके अलावा, विनिर्माण सुविधाओं वाली अनुसंधान तथा विकास इकाइयों के संबंध में, विनिर्दिष्ट उपस्करों के लिए पूर्ण सीमा शुल्क रियायत का लाभ उनकी विनिर्माण गतिविधि हेतु अब पिछले वर्ष के निर्यात करोबार के 25 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध रहेगा।

जहां तक प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत प्राप्त लाभों का संबंध है, आईटी अथवा फार्मास्यूटिकल उद्योग की भांति जैव-प्रौद्योगिकी कर प्रोत्साहन प्राप्त करेगा।

महोदय, अब मैं पर्यटन पर आता हूं।

आय सृजन के अलावा, पर्यटन सर्वाधिक कारगर रोजगार सृजक क्षेत्रों में एक है। इस उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु निम्नलिखित प्रस्तावों को कार्यान्वित किया जाएगा :

(क) व्यय कर हटाना;

(ख) तीन-सितारा तथा उससे ऊपर के होटलों को दीर्घकालिक पूंजी अग्रिम प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थाओं को धारा 10(23छ) का लाभ प्रदान करना;

(ग) अब से होटलों को समामेलन पर अनवशोषित हानि और मूल्यह्रास को समंजित करने के लाभ आयकर अधिनियम की धारा 72क के तहत उपलब्ध होंगे;

(घ) होटल उद्योग को सेवा कर से छूट जारी रहेगी; और अंत में,

(ङ) रोपवे परियोजनाओं के लिए आयातित उपस्करों पर मूल सीमा शुल्कों को सीवीडी तथा एसएडी के भुगतान बिना घटाकर 5 प्रतिशत करना जिससे तिरूपति को सहायता मिलेगी।

हमें आशा और विश्वास है कि राज्य अपने स्तर पर मौजूदा विलासिता कर को समाप्त करके पर्यटन क्षेत्र को समान रूप से प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

अब मैं रत्न और आभूषण पर चर्चा करूंगा।

भारत पारम्परिक तौर पर सदैव हीरा तथा रत्न कटिंग, पालिशिंग के क्षेत्र में तथा स्वर्णकारी कौशल में श्रेष्ठ रहा है। इस उद्योग को संवर्धित करने की दृष्टि से, खुरदरे, रंगीन रत्न पत्थरों पर सीमाशुल्कों को 5 प्रतिशत तथा अर्द्ध संसाधित, आधे कटे अथवा टूटे हीरों पर 15 प्रतिशत से शून्य तक करने का प्रस्ताव है। कटे तथा पालिश किए हीरों और रत्न पत्थरों पर भी सीमाशुल्कों को मौजूदा 15 प्रतिशत से घटाकर मात्र 5 प्रतिशत किया जाएगा।

मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। जहां तक स्वर्ण का संबंध है, आयातित स्वर्ण पर सीमाशुल्क को प्रति 10 ग्राम के मौजूदा 250 रुपए के स्तर से घटाकर प्रति 10 ग्राम पर मात्र 100 रुपए करना प्रस्तावित है, लेकिन यह छूट तभी मिलेगी जबकि इसे "तोला" सिल्लियों के रूप में नहीं बल्कि क्रमबद्ध तौर पर संख्या अंकित की गई सिल्लियों के रूप में अथवा स्वर्ण सिक्कों के रूप में देश में लाया जाता है। मुझे आशा और विश्वास है कि यह भारत को शीघ्र ही विश्व के स्वर्ण व्यापार के प्रमुख केन्द्र के रूप में सक्षम बनाने में पहला प्रयास साबित होगा।

रत्न और आभूषण उद्योग आयकर अधिनियम की धारा 10क तथा 10ख के अन्तर्गत प्राप्त लाभों को वापस लिए जाने के बारे में पर्याप्त शंकालु रहा है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसा कोई कदम उठाने का विचार नहीं हैं। हीरों तथा रत्नों की कटिंग तथा पॉलिशिंग के मामले में पर्याप्त मूल्यवर्धन को देखते हुए आयकर अधिनियम की धारा 10क तथा 10ख के तहत प्राप्त लाभों को इन क्रियाकलापों के लिए भी प्रदान करने का प्रस्ताव है।

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) को सशक्त बनाना।

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड देश के लिए ऋण बीमा कवच उपलब्ध कराकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कठिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा में सफलता पा रहे हमारे निर्यातकों में भारत से परियोजना निर्यात करने की अत्यधिक क्षमता है। ईसीजीसी को ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त हामीदारी सहायता उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने हेतु सरकार ने अपनी शेयर पूंजी बढ़ाकर 80 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है।

लघु उद्योग

औद्योगिक तथा निर्यात वृद्धि में योगदान देने वाला यह जीवंत लघु उद्योग आय तथा रोजगार में स्थायी वृद्धि करने हेतु महत्वपूर्ण हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने पहले कहा कि ब्याज दरों की गिरावट के पूर्ण लाभ न तो कृषि को और न ही लघु उद्योग को प्राप्त हुए हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हाल में की गई घोषणा तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रतिभूत अग्रिमों के संबंध में पी०एल०आर० के 2 प्रतिशत न्यूनाधिक ब्याज दर के बारे में लिये गए निर्णय से लघु उद्योग को ब्याज की आसान दरों पर बैंक से वित्त प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, इस क्षेत्र को उपलब्ध लाभ तथा हकदारी मंत्रालय के वेबसाइट पर तुरंत संदर्भ हेतु प्रदर्शित की जाएगी।

परिवर्तनशील दशाओं के अंतर्गत संचालित वृहद् तथा लघु उद्योगों के संस्थापनों में उत्पादित प्रतिस्पर्धा कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं के साथ वैश्विक बाजार में प्रवेश करना हमारा लक्ष्य है और जिस पर हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष सरकार ने 50 से अधिक मदों को आरक्षित सूची से हटाने की घोषणा की थी। आरक्षित सूची में अन्य कतिपय मदों के संबंध में पणधारियों से परामर्श करने के बाद प्रयोगशाला

रसायनों तथा रीजेन्टों, चर्म तथा चर्म उत्पादों, प्लास्टिक उत्पादों, रसायन तथा रासायनिक उत्पादों और कागज उत्पादों की अन्य 75 मदों के संबंध में लघु उद्योग आरक्षण वापस लेने का प्रस्ताव है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : तो आप किस तरह रोजगार के अवसर पैदा करेंगे? आप किस का बजट प्रस्तुत कर रहे है? यह खराब है।

श्री जसवंत सिंह : लघु उद्योग मंत्री इन वस्तुओं का ब्यौरा अलग से घोषित करेंगे। लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश को और सहायता प्रदान करने हेतु सरकार सीमित साझेदारी अधिनियम के प्रश्न पर जांच-पड़ताल करेगी।

भारत को बढ़ावा देना : भारत के विकास की पहल

''भारत विकास पहल'' नामक एक पहल भारत को उत्पादन केन्द्र तथा निवेश गंतव्य दोनों के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु वित्त मंत्रालय में वर्ष 2003-2004 में 200 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ संस्थापित की जाएगी। यह पहल विदेश में हमारे महत्वपूर्ण आर्थिक हितों को भी बढ़ाएगी तथा उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

विनिवेश

चालू वर्ष में विनिवेश प्राप्तियों के 3360 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मुझे विश्वास है कि विनिवेश की गति आगामी वर्ष में तेज होगी। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि पहले से घोषित अवशिष्ट शेयरों के पश्च निवेश धारण करने वाली विनिवेश निधि तथा परिसंपत्ति प्रावधान समिति के ब्यौरों को वर्ष 2003-2004 के प्रारंभ में अंतिम रूप दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, विनिवेश केवल सरकार के लिए राजस्व जुटाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सरकार को व्यापार से दूर रखने और अच्छे अभिशासन की ओर ध्यान देने की दृष्टि से मुख्य रूप से इन उपक्रमों की उत्पादक क्षमता को स्वतंत्र करने के लिए है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह बिलकुल गलत है। वे साम्राज्य को लूट कर कहीं और पैसा खर्च कर रहे हैं।

अन्य सुधार

बैंकिंग

श्री जसवंत सिंह : भारत में बैंकिंग कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इस समय स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत सभी स्रोतों से 49 प्रतिशत की सीमा के भीतर है। विदेशी बैंकों द्वारा सहायक बैंकों की स्थापना को सुगम बनाने तथा निजी बैंकों न कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निवेश आमंत्रित करने हेतु इस सीमा को कम से कम 74 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

किसी बैंकिंग कंपनी में शेयरों को धारण करने वाले किसी व्यक्ति का मतदान अधिकार भले ही उसकी शेयरधारिता कुछ भी हो, 10 प्रतिशत तक सीमित है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में इस सीमा को हटाने के लिए संशोधन किया जाएगा।

आयकर अधिनियम की धारा 72क के लाभ अब राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी प्रदान किए जाएंगे। कोई बैंकिंग कंपनी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ परिणामी कर लाभ के साथ अपना आमेलन कर सकती है।

जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि सरकार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या को नियंत्रित करने तथा प्रभावी तरीके से कार्य करने वाले ऋण बाजार को सुनिश्चित करन हेतु कृतसंकल्प है। पिछले वर्ष की बजट घोषणा का अनुसरण करते हुए ऋण सूचना ब्यूरो की पहले ही स्थापना की जा चुकी है। इस ब्यूरो को आवश्यक विधायी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

ब्याज दर

निम्न मुद्रास्फीति प्रणाली में ब्याज की उच्च दरें स्पष्टत: निवेश को हतोत्साहित करती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि लोक भविष्य निधि और अन्य लघु बचत योजनाओं पर प्रशासित ब्याज दरें बाजार दरों के अनुरूप समायोजित की जाएं। तद्नुसार, लोक भविष्य निधि और लघु बचत योजनाओं आदि पर ब्याज की दरें 1 मार्च से एक प्रतिशतांक कम की जाएंगी। राहत बांडों पर ब्याज को भी तद्नुसार निर्धारित किया जाएगा। तथापि, माननीय सदस्य यह देख सकते हैं कि इन लिखतों पर दिए गए मुद्रास्फीति के लिए समायोजित वास्तविक अभिलाभ अभी भी प्रतिवर्ष 6.3 प्रतिशत पर लाभकारी हैं; जो वर्ष 1991-92 और 1995-96 के बीच मौजूद दर की अपेक्षा अधिक है।

पूंजी खाता

पिछले कुछ महीनों में सरकार ने पूंजी खाता गतिशीलता पर प्रतिबंध कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। सावधनीपूर्वक आंकलन के बाद मैं निम्नलिखित उपायों की घोषणा करना चाहूंगा :

— विविधीकरण समर्थ बनाने के लिए स्वचालित मार्ग के अधीन समुद्रपारीय निवेश की अनुमति उन्हीं कारपोरेट को दी जाएगी, जिनका पिछला रिकार्ड अच्छा हो, भले ही निवेश उसी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप में न हो। इसके अतिरिक्त भारतीय

कंपनी की निवल संपत्ति के 50 प्रतिशत तक ऐसे निवेश को सीमित करने के वर्तमान प्रतिबंध के स्थान पर इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा।

– 100 मिलियन अमरीकी डालर की वर्तमान उच्चतम सीमा हटाकर स्वचालित मार्ग के अधीन विदेशी वाणिज्यिक उधारों की बकाया राशि के पूर्व-भुगतान की अनुमति दी जाएगी।

सरकारी विदेशी संस्थात्मक निवेशकों द्वारा निवेश की क्षेत्रकीय सीमाओं की वृहद् समीक्षा करने पर विचार कर रही है। शेयर बाजारों में उनके सुगमतापूर्वक प्रवेश के लिए उनके पंजीकरण की प्रक्रिया और सरल तथा कारगर बनाई जाएगी। पूंजी के प्रवाह के सुगम बनाने के लिए पहले ही कई उपाय किए जा चुके हैं। इस संबंध में और पहलें की जाएंगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री साहिब सिंह वर्मा ने राष्ट्र से वादा किया था कि सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दर में कोई कटौती नहीं की जाएगी। अब मंत्री महोदय ने कटौती की है। यह बिलकुल गलत है।

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में यह बात उठा सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नौकरीपेशा वर्ग पर प्रहार किया गया है। श्री साहिब सिंह वर्मा को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें आगे बढ़कर अपना कथन वापस लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, कृपया बैठ जाइए।

विदेशी सहायता

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे विकास में ऐसा मोड़ आया है, जहां अब हमें सबसे पहले विदेशी दाताओं पर अपनी निर्भरता की समीक्षा करनी चाहिए। दूसरा, अन्य विकासशील देशों के राष्ट्रीय प्रयासों को सहायता प्रदान करनी चाहिए और तीसरा, अन्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता के ऋण मार्ग की पुन:जांच करनी चाहिए। सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूं :

(क) सर्वप्रथम, अपने विकास के सभी पूर्व भागीदारों के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि भारत सरकार अब कतिपय द्विपक्षीय भागीदारों को छोटे सहायता पैकेजों के साथ राहत प्रदान करना चाहेगी ताकि उनके संसाधनों को सरकारी विकास सहायता की अधिक आवश्यकता वाले निर्दिष्ट गैर-सरकारी संगठनों को अंतरित किया जा सके। तथापि, वर्तमान सहमत्य कार्यक्रम जारी रहेंगे और पूर्ण होंगे। निस्संदेह अब कोई ''सशर्त सहायता'' मौजूद नहीं रहेगी।

(ख) दूसरा, देश और जनता के रूप में निर्धनता का मुकाबला करने के बाद हम इस बोझ की पीड़ा और चुनौतियों से अवगत हैं। जिन देशों को भारत के ऋण की भारी अतिदेय धनराशि का भुगतान करना है ऐसे अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धन देशों के लिए यह घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हम एक ऋण राहत पैकेज पर विचार कर रहे हैं। इसकी घोषणा विदेश मंत्रालय के परामर्श से शीघ्र ही की जाएगी।

(ग) तीसरा मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता है कि सरकार मित्र विकासशील देशों को ऋण अथवा ऋण श्रृंखला की पद्धति को साधारणतया समाप्त करने का विचार रखती है। इसकी बजाय भविष्य में मैं ''भारत विकास पहल'', जिसकी घोषणा मैं कर चुका हूं, का अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और विकासशील विश्व के अन्य भागों में विकासशील देशों को अनुदान अथवा परियोजना सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव करता हूं।

हमें वित्त मंत्रालय का सुधार करने की आवश्यकता है।

कंपनी कार्य विभाग, विदेश संवर्धन निवेश बोर्ड (एफआईपीबी) और नई पेंशन निधि योजना के विनियमन के उत्तरदायित्व अब मंत्रालय के अतिरिक्त दायित्व हैं। इसलिए मंत्रालय को पुनर्गठित करने, वित्त मंत्रालय के रूप में अधिक सरल और सीधा नाम दिए जाने की आवश्यकता हैं। कंपनी कार्य विभाग को अब एक विभाग के रूप में आमेलित किया जा रहा है और अब यह वित्त के साथ अपने नाम रूप में नहीं रहेगा।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग को पुनर्गठित किया जाएगा और इसमें आर्थिक नीति; अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विश्लेषण;, पूंजी बाजार; बजट; बैंकिंग; व्यापार और सहायता की समस्याओं और आधार संरचना तथा समन्वय से संबंधित कार्य करने वाले पृथक प्रभाग होंगे।

महोदय, बहुत पहले से यह महसूस किया जा रहा है कि कृषि के संबंध में वित्त मंत्रालय की सलाह संतोषजनक नहीं है और इसलिए वित्त मंत्रालय को सलाह देने हेतु, विशेषज्ञ सलाहकार परिषद भी शुरू की जाएगी।

मैं करों, कर सुधारों और बजट प्राक्कलन का उल्लेख करता

हूं। मैं छः पहलुओं पर ध्यान देना चाहता हूं। पहला, आने वाला वर्ष राज्यों द्वारा मूल्यवर्धित कर (वैट) अपनाए जाने से ऐतिहासिक होगा। केन्द्र सरकार इस नए सुधार में सहकारी संघवाद की श्रेष्ठतम परम्परा में राज्यों की भागीदार रही है। इसमें अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अधिनियम में संशोधन भी शामिल होगा। दूसरा, वर्ष 2003-2004 को ऐसा वर्ष बनाना प्रस्तावित है, जब व्यापक तरीके से कर तंत्र में सेवाओं को एकीकृत करने के लिए दीर्घकाल से लंबित संवैधानिक संशोधन अधिनियमित और कार्यान्वित किया जाएगा। यह राजस्व में बढ़ोतरी करेगा और मूल्यवर्धित कर(वैट) कार्यान्वित करने में सहायता करेगा। तीसरा, सूचना प्रौद्योगिकी और अवैयक्तिक प्रणाली के अधिक उपयोग के माध्यम से कर प्रशासन में बड़े सुधार होंगे। चौथा, उत्पाद शुल्कों को और सरल तथा कारगर बनाया जा रहा है। पांचवां, सीमाशुल्क को कम करने की गति अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारने के लिए बनाई रखी जा रही है। और अंत में, सरकार व्यय के पुनः प्राथमिकताकरण और राजस्व वृद्धि के माध्यम से राजकोषीय समेकन की ओर अग्रसर रहेगी।

राज्य-स्तरीय मूल्यवर्धित कर(वैट)

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 18 अक्तूबर, 2002 को आयोजित राज्य के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने इस अंतिम निर्णय की पुष्टि की कि सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अप्रैल, 2003 से मूल्यवर्धित कर लागू करेंगे। राज्य के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 8 फरवरी, 2003 को इस सुझाव का पुनः समर्थन किया कि मूल्यवर्धित कर पर सभी राज्य विधानों में एक समान न्यूनतम सेट होना चाहिए। करों को क्रमिक बनाने से बचने के अतिरिक्त, मूल्यवर्धित कर को लागू किए जाने से राजस्व बढ़ने की आशा की जाती है क्योंकि इसके अन्तर्गत उत्पादन और वितरण श्रृंखला में बिक्री के सभी चरणों पर मूल्यवर्धन को शामिल किया जाता है। तथापि, कई राज्यों द्वारा मूल्यवर्धित कर को लागू करने के प्रारंभिक वर्षों में संभावित राजस्व हानि के बारे में व्यक्त आशंकाओं के दृष्टिगत केन्द्र सरकार मूल्यवर्धित कर के लागू किए जाने के पहले वर्ष में हानि के 100 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में हानि के 75 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में हानि के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करने पर सहमत हो गई है; यह हानि एक सहमत्य फार्मूले के आधार पर संगणित की जाएगी।

भारत सरकार राज्य स्तर पर मूल्यवर्धित कर लागू किए जाने को हमारी घरेलू व्यापार कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार मानती है। यह राज्यों को भूतपूर्व बिक्री कर प्रणाली से इस समय 120 से अधिक देशों में प्रचलित एक आधुनिक घरेलू प्रणाली में सफलतापूर्वक परिवर्तन करने में सहायता प्रदान करेगी।

बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

राज्यों को अधिक राजस्व सृजित करने में समर्थ बनाने के लिए राज्यों को सभी भागीदारी योग्य करों और शुल्कों का अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत देना जारी रखते हुए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की सामग्रियां) अधिनियम, 1957 को संशोधित किया जा रहा है, जिसकी तारीख अधिसूचित की जाएगी। यह राज्यों को वस्त्र, चीनी और तम्बाकू उत्पादों पर बिक्री कर लगाने की अनुमति देगा, जिसकी दर 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह राज्यों को मूल्यवर्धित कर श्रृंखला में इन तीन महत्वपूर्ण उत्पादों को एकीकृत करने में भी समर्थ बनाएगा।

यह प्रस्ताव किया गया है कि राजस्व के एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सेवाओं पर कर लगाने में समर्थ बनाने के लिए संविधान में एक संशोधन प्रस्तावित है। यह संवैधानिक संशोधन और परिणामी विधान केन्द्र सरकार को कर लगाने की शक्ति और केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों को आय संग्रहित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान करेंगे।

केन्द्रीय बिक्री कर के बारे में

मूल्यवर्धित कर के लागू होने से अब केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और पूर्ण लक्ष्य आधारित प्रणाली की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। यह एक ही चरण में नहीं किया जा सकता। हमें मूल्यवर्धित कर को स्थायी होने देना चाहिए परन्तु यह भी मानना चाहिए कि ये दोनों मूल्यवर्धित कर और केन्द्रीय बिक्री कर निरंतर रूप से एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए पहली बार में पंजीकृत डीलरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के लिए केन्द्रीय बिक्री कर की उच्चतम दर वर्ष 2003-2004 के दौरान अधिसूचित की जाने वाली तारीख से घटाकर 2 प्रतिशत की जाएगी। भारत सरकार केन्द्रीय बिक्री कर की इस कमी को राजस्व हानि के लिए राज्यों की प्रतिपूर्ति करेगी। राज्य के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ सहमति होने के बाद ही यह सभी उपाय किए गए हैं, अतः इसे किया जाएगा।

मैं सभी राज्य वित्त मंत्रियों से प्राप्त सहयोग के लिए भी अपनी सराहना व्यक्त करना चाहूंगा। इसके बिना मैं इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम नहीं दे सकता था।

कार्यबल

जैसा माननीय सदस्यों को अवगत हैं सितम्बर, 2002 में तीन कार्यबल गठित किए गए थे : प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर एक-एक और तीसरा कारपोरेट अभिशासन पर।

इनकी अध्यक्षता क्रमशः डा० विजय केलकर और श्री नरेश चन्द्रा द्वारा की गई थी। पूर्ववर्ती अर्थात डा० विजय केलकर ने नवम्बर में जनता की टिप्पणियों के लिए परामर्शी दस्तावेज के रूप में प्रारंभिक प्रस्ताव भी जारी किए थे। इस सभी टिप्पणियों का मूल्यांकन करने के बाद दिसम्बर, 2002 में अंतिम रिपोर्ट दी गई थी।

इन कार्यबलों और उनकी रिपोर्टों पर जनता की अच्छी प्रतिक्रिया रही है। यह डा० केलकर और श्री नरेश चन्द्रा तथा उनके निस्स्वार्थ और समर्पित दल द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसा का द्योतक है।

बजट-निर्माण प्रक्रिया को खुला रखकर केलकर समिति की रिपोर्ट ने जहां तक व्यवहार्य हो, वार्षिक बजटीय कार्य में हमारे नागरिकों को शामिल करने के मेरे मूल प्रयोजन को सिद्ध किया है। मुझे इन रिपोर्टों तथा इस खुली चर्चा से भी व्यक्तिगत तौर पर लाभ हुआ है। मैं दोनों अध्यक्षों और कार्यबल के सभी सदस्यों तथा जनता को उनकी मूल्यवान टिप्पणियों और सुझावों के लिए अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इनकी पार्टी सभा से बारह कुछ और तथा ये सभा में कुछ और कह रहे हैं। वे इस तरह से सभा को गुमराह नहीं कर सकते...*(व्यवधान)* उनकी पार्टी संसद से बाहर कुछ और कह रही है और वे संसद में कुछ कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को बीच में रोकने का यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेख सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है और इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, किसान आत्महत्या कर रहा है और ये किसानों पर कर लगा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, रघुवंश जी, आप सब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्यों से बैठने का अनुरोध कर सकता हूं?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, ये सरलता से सार्वजनिक रूप से उन्हें बधाई नहीं दे सकते है। उनकी पार्टी का अलग मत है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उनका निजी विचार है। कृपया बैठ जाइए। आप जो चाहते है, वही कहने के लिए आप मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकते हैं। उन्हें, आपके समक्ष अपने विचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। जब सामान्य बजट पर चर्चा शुरू होगी, तब आप बजट भाषण पर टिप्पणी कर सकते हैं। कृपया आप बार-बार मंत्री महोदय को परेशान न करे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम एक बात कहना चाहते हैं कि इनकी तारीफ नहीं होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* ये किसानों के दुश्मन थे और हैं।...*(व्यवधान)* हम किसानों पर आयकर लगाने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनकी निन्दा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वे आयोग की ओर से तथा रिपोर्ट के आधार पर बहस कर रहे हैं। या तो उनकी पार्टी को उन्हें अथवा उन्हें अपनी पार्टी को छोड़ देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय, आप अपना भाषण जारी रखिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं जो बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं। मैं आपकी टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब आपका भाषण देने का समय आएगा तब आप बोलिए। अभी बोलने की क्या जरूरत है? कृपया अभी बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप अपना भाषण जारी रखें। आपको उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : इनकी तारीफ नहीं होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ऐसा आप ही क्या, सभी कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : मुलायम सिंह जी, आप जरूर निंदा करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

नरेश चन्द्रा समिति की रिपोर्ट के संबंध में, कारपोरेट अभिशासन को सरकार की कार्यसूची में प्राथमिकता दी गई है। धोखाधड़ियों का पहले पता लगाने और उनसे बचने के लिए तंत्र की स्थापना करते समय प्रबंधकीय पहल को नहीं रोकने वाले विनियमनों का एक सेट होगा। इस प्रयोजन के लिए गंभीर धोखाधड़ी से संबंधित एक कार्यालय स्थापित किया जा चुका है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इन रिपोर्टों के मूल सिद्धांत सुदृढ़ हैं। एक आधुनिक, अग्रदर्शी और दीर्घावधि में राजस्व लाभप्रदाय कराधान प्रणाली के लिए हैं, अंततः एक छूट और विवेक आधारित प्रणाली से हटकर एक भिन्न, अधिक वर्तमान व्यवस्था की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। विशेषकर प्रत्यक्ष करों के संबंध में कार्यबल ने कराधान के प्रति मूलतः नए दृष्टिकोण के जो सुझाव दिए है, वे आदर्श हैं।

इस आदर्श को एक ही बार में प्राप्त करना कठिन हैं, और मैं मौजूदा वैचारिक मतभेद की दो खाइयों को पार नहीं कर सकता। हम वचनबद्धताओं को नहीं नकार सकते अथवा उनसे दूर नहीं भाग सकते। इसलिए मैंने इस खाई को पाटना पसंद किया है। इसलिए हम कराधान की वर्तमान प्रणाली के बुनियादी आधार पर बने रहेंगे परंतु हम सचमुच कार्यविधिक जटिलताओं को दूर करने, कागजी कार्रवाई कम करने, प्रशासन को सरल बनाने और क्षमता बढ़ाने के लिए गठित कार्यबल द्वारा दिए गए अधिकांश सुझावों जिन्हें वास्तव में हम स्वीकार कर चुके हैं, के अलावा इस समय प्रणाली द्वारा सम्मिलित कर सकने वाले ऐसे कर प्रस्तावों को एकीकृत करेंगे और अपनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, यह एक संदेहयुक्त, परेशानी उत्पन्न करने वाली, जोर जबर्दस्ती वाली प्रणाली से हटकर एक विश्वास आधारित, ''ग्रीन चैनल'' प्रणाली की दिशा में बढ़ना होगा। मैं ऐसा पूर्णतः अपने देशवासियों के प्रति अपने विश्वास के आधार पर करता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : ये देशविरोधी हैं जो किसानों पर आयकर की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, ऐसी बात नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री जसवन्त सिंह : यह भ्रम कहां से उत्पन्न हुआ है? वैसे भी कहा जाता है, आप तो जानते ही हैं, मुंडै -मुंडै बजरबट्टा मुझे अपने विचारों को रखने का अधिकार है। अधिकार कहां नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : ये आपके विचार हैं, आप कहिये।

श्री जसवन्त सिंह : कहीं नहीं है, यह तो भ्रम है, भ्रम का क्या किया जाये।

[अनुवाद]

मैं अब खास कर प्रस्तावों पर आता हूं। जिन बातों का नीचे मैं उल्लेख कर रहा हूं वे मुख्य परिवर्तन हैं जिनकी मैं विशिष्ट क्षेत्रों के अंतर्गत चर्चा की है। और यह विशिष्ट क्षेत्रकों से संबंधित भाग

में पहले ही उल्लेख किए जाने के अतिरिक्त है। ब्यौरे वित्त विधेयक और संगत अधिसूचनाओं में निहित हैं, जिन्हें उचित समय पर सदन के सभापटल पर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, जैसा माननीय सदस्यों को अवगत है माल की स्वीकृति के संबंध में बजट दिवस के प्रतिबंधों को, आर्थिक गतिविधि निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए, हटा दिया गया है।

प्रत्यक्ष कर की दरें

कारपोरेट और कारपोरेट-भिन्न दोनों आयकर की दरें अधिकांशत: वर्ष 1997 से स्थिर रही हैं। मुझे बताया गया है कि स्थायित्व और निरंतरता को, कर प्रणाली के गुणों के रूप में माना जाता है। अत:, मेरा भी यह उद्देश्य है। इसलिए कारपोरेट कर संरचना को यथारूप में रखा जाएगा परन्तु भारत की सुरक्षा के संबंध में पिछले वर्ष लगाए गए 5 प्रतिशत अधिभार, को कारपोरेट निर्धारितियों, फर्मों, विदेशी कंपनियों, सहकारी समितियों और स्थानीय प्राधिकारियों के मामले में आधा कर दिया जाएगा। 8.5 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वालों को छोड़कर व्यष्टियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों और व्यक्तियों के संघ आदि के मामले में यह अधिभार पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। जो 8.5 लाख रुपए से अधिक आय अर्जित कर रहे है, उनसे मैं कर पर 10 प्रतिशत अधिभार संग्रह करूंगा, जो एक रुपए की आय में से वास्तव मे 3 पैसे से कम होता है। परंतु मैंने उन्हें साथ ही कुछ राहत भी प्रदान की है, जैसे मानक कटौतियों में।

मानक कटौती

2 लाख रुपए और उससे अधिक के आय स्तर पर गैर-वेतनभोगियों की तुलना में अधिक वेतनभोगी करदाता हैं। मैं प्राय: सोचता हूं ऐसा क्यों है? इसलिए हमेशा वेतनभोगी यह कहते हैं कि उनके साथ समानता नहीं की जाती। मैं इस बात से सहमत हूं कि वे सख्त प्रणाली के कारण प्रभावित हैं। इसलिए जैसी पहले घोषणा की जा चुकी है उनकी मानक कटौती बढ़ाई जाती है।

लाभांश, ब्याज आदि से आय प्राप्त करने वाले व्यष्टि करदाताओं को 9000 रुपए की सामान्य कटौती प्रदान की जाती है। मेरे द्वारा जैसा पहले वचन दिया गया है इस कटौती को अब 12,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज के संबंध में 3000 रुपए की अतिरिक्त छूट की स्वीकृति दी गई हैं। इस प्रकार धारा 80ठ के अधीन उपलब्ध छूट 15,000 रुपए होगी। यद्यपि आगामी वर्ष से प्राप्तकर्ता पर लाभांश, कर-योग्य नहीं होगा फिर भी मैं आगामी वर्ष के लिए 15,000 रुपए की इस छूट को रखने का प्रस्ताव करता हूं।

स्रोत पर कटौती

स्रोत पर कटौती योग्य कर से संबंधित कतिपय प्रावधानों द्वारा कई अनभिप्रेत कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं; यहां उनकी चर्चा करना अनावश्यक होगा। मैं इसे सुधारना चाहता हूं। इसलिए सामान्य रूप से अब यह व्यवस्था की जाती है कि कारोबार अथवा व्यवसाय कर रहे व्यष्टि और हिन्दू अविभाजित परिवार को वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा किए गए भुगतानों से स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक नहीं है।

सामान्यत: जो निवासी नहीं है

भारत में करदाताओं की ऐसी श्रेणी हैं जो अन्यत्र नहीं पाई जाती - इसे ''सामान्यत: जो निवासी नहीं है'' श्रेणी कहा जाता है उन्हें सामान्यत: अपने विदेशी स्रोतों की आय पर कर अदा नहीं करना पड़ता। भिन्न-भिन्न कानूनी व्यख्याओं के कारण पूर्व में इस प्रावधान पर कुछ भ्रांति रही है। इस मामले को सही करने के लिए संगत परिभाषा को उचित रूप से संशोधित किया जाएगा। ताकि अब व्यक्तियों को दो वर्षों के लिए लाभ उपलब्ध हों, यदि वे 10 वर्षों में से पिछले नौ वर्ष अनिवासी बने रहते हैं।

प्रशासनिक सुधार

कर प्रशासन के मामले में अनेक कदम, उठाए गए है तथा व्यपाक सुधार प्रारंभ किए हैं। उनमें से कुछ मुख्य निम्नानुसार हैं :

(क) आयकर विभाग के पैन का आबंटन और कर सूचना नेटवर्क के माध्यम से उच्च मूल्य के लेनदेनों का डाटा बैंक सृजित करना जैसे गैर-मुख्य कार्यकलाप बाहरी स्रोत से करना;

(ख) संवीक्षा के लिए विवरणी के चयन की वर्तमान विवेक आधारित प्रणाली को तत्काल समाप्त करना, इसे वार्षिक रूप से केवल 2 प्रतिशत विवरणियों के यादृच्छिक, कम्प्यूटर जनित, सूचना चयन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) विवरणियां तैयार करने के लिए अधिक नगरों में सक्रिय ध्वनि प्रत्युत्तर प्रणाली और सॉफ्टवेयर के विस्तार सहित करदाता सेवाओं के क्षेत्र का विस्तार करना;

(घ) इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस प्रणाली के माध्यम से सभी वापसियों को करदाता के बैंक खाते में सीधे जमा करना; परंतु ऐसा तभी किया जाएगा यदि करदाता बैंक खाता संख्या प्रस्तुत करता है;

(ङ) कर की कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण के प्रयोजनार्थ इस समय आवेदन, विवरणी आदि प्रस्तुत करने में प्रयुक्त फोर्मा की संख्या 42 से आधी अर्थात् मात्र 22 करके करदाता की अनुपालन लागत कम करना। माननीय सदस्यगण अगर केवल एक प्रयास में इस समस्या को आधा कर सकूं तो कृपया इस मार्ग में मौजूद अत्यधिक संभावनाओं पर प्रकाश डालें;

(च) वेतन, गृह संपत्ति और ब्याज आदि से आय करने वाले व्यष्टि कर दाताओं के लिए केवल एक पृष्ठ की विवरणी फार्म तत्काल प्रारंभ करना। इसे तैयार किया जा चुका है और यह 1 अप्रैल से प्रचलन में आ जाएगा;

(छ) विवरणियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने में नागरिकों को समर्थ बनाने के लिए आयकर अधिनियम संशोधित किया जा रहा है;

(ज) भारत छोड़ने वाले किसी व्यक्ति अथवा सरकारी ठेके के लिए निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के लिए इस समय आवश्यक कर-क्लियरेंस संबंधी प्रमाणपत्र की समाप्ति। अब से केवल प्रवासी, जो करोबार, व्यवसाय अथवा रोजगार के संबंध में भारत आते हैं, को अपने नियोक्ता से एक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। भारत छोड़ने के पूर्व किसी भारतीय को प्रवर्जन प्राधिकारियों को अपना स्थायी खाता संख्या और अपने अभिप्रेत विदेश भ्रमण की अवधि का ब्यौरा देना होगा; और

(झ) तलाशी और जब्ती तथा आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण के दौरान प्रयुक्त कार्यविधियों को सरल बनाना। महोदय, यह महत्वपूर्ण है इसके बाद पहला, किसी तलाशी और जब्ती कार्य के दौरान पाए गए भंडार की किसी परिस्थिति में जब्ती नहीं की जाएगी। दूसरा, ऐसी तलाशी और जब्ती कार्य के दौरान कोई स्वीकारोक्ति प्राप्त नहीं की जाएगी। तीसरा, संयुक्त आयकर, आयुक्त के रैंक से नीचे किसी अधिकारी द्वारा कोई सर्वेक्षण कार्य प्राधिकृत नहीं किया जाएगा। अंततः सर्वेक्षण के दौरान जब्त लेखा बहियां मुख्य आयुक्त के पूर्वानुमोदन के बिना दस दिनों से अधिक नहीं रखी जाएंगी।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब कराधान के सरलीकरण और यौक्तिकीकरण नामक लम्बे रास्ते के कुछ कदम मात्र हैं। यह केवल निरर्थक ही नहीं हैं जिसके लिए यहां तक कि अलबर्ट आइंस्टीन ने विषादमय स्वर में टिप्पणी की थी कि उन्होंने "आय कर को इस पृथ्वी पर समझ न आने वाली सबसे कठिन वस्तु पाया है।"

अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरे साथ सहानुभूति रखिए क्योंकि मैं उस वस्तु को सरल बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसे आइंस्टीन ने इतना कठिन माना था।

अप्रत्यक्ष कर : उत्पाद शुल्क

युक्तिसंगत बनाना और राहत

उत्पाद शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाना तथा दरों की अनेकता में कमी करना सकल कर सुधार प्रक्रिया के हिस्से हैं। इस संबंध मे, मैं 8 प्रतिशत, 16 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत की 3-श्रेणी वाली उत्पाद शुल्क संरचना की व्यवस्था लाने का प्रस्ताव करता हूं। लेकिन, ये दरें पैट्रोलियम, तंबाकू उत्पादों, पान मसाला तथा ऐसी मदों, जिन पर विशेष शुल्क दरें लगती हैं, पर लागू नहीं होंगी। मैं वस्त्रोद्योग के लिए एक पृथक् पैकेज तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के मामले में उन पर विचार करते हुए उनसे संबंधित शुल्क संरचना में कुछ परिवर्तनों की घोषणा पहले ही कर चुका हूं। अब मैं अन्य विभिन्न वस्तुओं में प्रस्तावित परिवर्तनों की चर्चा करूंगा।

टायरों, वातित साफ्ट ड्रिंक्स, पोलिएस्टर, फिलामेंट यार्न, एयर कंडीशनरों तथा मोटर कारों पर अभी 32 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता हैं। मैं इन मदों पर शुल्क को घटाकर 24 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

पिछले दो वर्षों के दौरान कुछ छूट प्राप्त मदों को कर प्रणाली के अंतर्गत सेनवैट-रहित 4 प्रतिशत के शुल्क अथवा सेनवैट-सहित 16 प्रतिशत शुल्क की वैकल्पिक व्यवस्था में शामिल किया गया था। महोदय, मुझे प्रधानमंत्री से सेनवैट-रहित 4 प्रतिशत शुल्क को समाप्त करने का विशिष्ट अनुदेश प्राप्त हुआ है। तथापि, छूट के संबंध में प्राप्त बहुत से अभ्यावेदनों तथा प्रधान मंत्री के निदेश को ध्यान में रखते हुए, मैं आम नागरिकों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली निम्नलिखित मदों, जिन पर अभी 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता है, को पूरी तरह से शुल्क-मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं :

- बिना ब्रांड वाली सर्जिकल पट्टियां
- रजिस्टर तथा लेखा पुस्तकें
- छाते - आज के संदर्भ में उपयुक्त
- किरोसीन प्रैशर लालटेन

- लकड़ी की वस्तुएं
- नकली जरी
- चेपदार टेप
- नलदार बुनी हुई गैस मेंटल फ्रैब्रिक
- वाकिंग स्टिक
- अभ्रक से बनी वस्तुएं
- बाइसिकल तथा पुर्जे
- खिलौने
- चित्रित टाइलें
- बर्तन तथा रसोई की वस्तुएं
- चाकू, चम्मच तथा रसोई में मेज पर प्रयुक्त होने वाली ऐसी ही वस्तुएं
- शोधक चश्मों के शीशे

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : गरीब के बच्चे खिलौने नहीं खेलेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी और भी बाकी है, आप पहले पूरा सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : त्रिशुल का क्या हुआ, उसके बारे में बताइए?

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : शेष मदों, जिन पर सेनवैट-रहित 4 प्रतिशत का शुल्क लगता है, पर अब सेनवैट-सहित 8 प्रतिशत का शुल्क लगेगा।

मैं गैर-यांत्रिक क्षेत्र द्वारा बनाई जाने वाली माचिसों को उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह से छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूं। लेकिन, अर्ध-यांत्रिक तथा यांत्रिक क्षेत्र द्वारा निर्मित माचिसों पर यथामूल्य शुल्क लगेगा।

मैं, औषधियों तथा प्रसाधन वस्तुओं, जिनमें अल्कोहल होता है, पर औषधि तथा प्रसाधन विनिर्मितियां अधिनियम के अधीन प्रभार्य उत्पाद शुल्क को 20 से 50 प्रतिशत की वर्तमान ऊंची दरों से कम करके, अल्कोहल रहित ऐसी ही वस्तुओं के समतुल्य 16 प्रतिशत की एक समान दर पर लाने का प्रस्ताव करता हूं। लेकिन, आयुर्वेद तथा यूनानी दवाओं, जिनपर स्वत: उत्पन्न अल्कोहल होता है, पर छूट जारी रहेगी।

मैं प्रैशर कुकर, नेत्र-संबंधी ब्लैंक, बिस्कुट, टॉफी (बायल्ड स्वीट्स) तथा डैंटल-कुर्सियों पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटा कर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। रिकार्डिड आडियो काम्पेक्ट डिस्क (सीडी) अब उत्पाद शुल्क से पूरी तरह मुक्त होंगी।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने पहले कहा था कि अंत्योदय अन्न योजना - ''गरीब के पेट में दाना।'' के बाद उसका दूसरा पार्ट है - ''गृहिणी की टुकिया में आना।''...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : ऑल इंडिया मेडीकल इंस्टीटयूट में 20 गुना ज्यादा वृद्धि कर दी गई है, शर्म करो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं हैं। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि जैसे ''गरीब के पेट में दाना,'' उसका दूसरा पार्ट है - ''गृहिणी की टुकिया में आना।''

[अनुवाद]

परिवहन

अब मैं परिवहन के मुद्दे पर आता हूं कि त्वरित विकास के लिए दक्ष परिवहन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मोटर कारों तथा टायरों पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौतियों की घोषणा पहले ही कर चुका हूं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, मैं इलैक्ट्रिकल वाहनों पर शुल्क को 16 प्रतिशत से घटा कर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

अभी, स्वतंत्र बाडी निर्माताओं की तुलना में, जिन्हें उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है, किसी एकीकृत एकक द्वारा निर्मित बसों तथा ट्रकों पर लागू शुल्क संरचना में असमानता है। शुल्क के अंतर को कम करने तथा एकीकृत बस और ट्रक निर्माताओं को बाडी-बिल्डिंग के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सड़क सुरक्षा के उपाय के रूप में, मैं बाहर से बाडी निर्माण के लिए स्वीकृत चेसिस पर लागू शुल्क को 16 प्रतिशत से बढ़ा कर 16 प्रतिशत जमा 10,000 रुपए प्रति चेसिस करने

का प्रस्ताव करता हूं। असंगठित क्षेत्र में बाडी निर्माण कार्य को प्रदान की गई छूट जारी रहेगी।

महोदय, हमने सिद्धांत यह स्वीकार किया है कि जहां कराधान साधारण होने चाहिए, वहीं कर-आधार विस्तृत होना चाहिए जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र का संतुलित योगदान हो। इस सिद्धांत का पालन करते हुए, सेनवैट क्रेडिट सुविधा की उपलब्धता के साथ निम्नलिखित मदों पर 8 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है: ब्रांड वाले रिफाइन्ड खाद्य तेल तथा परचून बिक्री के लिए डिब्बा बंद वनस्पति तेल—जो बिना ब्रांड वाले तेल पर लागू नहीं होगी, ले-फ्लैट टयूबिंग, गैर-पारम्परिक कच्चे माल से निर्मित कागज तथा गत्ता; तथा ब्लैक एण्ड व्हाइट टीवी सेट के लिए पापुलेटिड प्रिंटिड सर्कट बोर्ड।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीमेंट और क्लिंकर पर विशिष्ट दरों में काफी लम्बे समय से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अब मैं इन दरों को 50 रुपए प्रति टन बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। इससे सीमेंट के प्रति 50 किलोग्राम के बैग पर 2.50 रुपए की मामूली वृद्धि होगी।

मैं हल्के डीजल तेल पर प्रति लीटर 1.50 रुपए का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं जिससे मिलावट के रूप में इसके उपयोग को और हतोत्साहित किया जा सके।

व्यापार सुविधा उपाय

व्यापार सुविधाओं के लिए मैं निम्नलिखित उपायों को शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं:-

(क) 15 दिन में भुगतान करने की मौजूदा प्रणाली को मासिक भुगतान प्रणाली अर्थात् माह के अंत में भुगतान, में परिवर्तित किया जा रहा है।

(ख) वास्तविक भाड़ा खर्च के आधार पर लेन-देन मूल्य से कटौती की अनुमति प्रदान की जाती है बशर्ते कि इसे बीजक में स्पष्ट रूप से दिखाया गया हो। अब यह सुविधा ऐसे मामले में भी प्रदान की जाएगी जिनमें भाड़े की गणना समवर्ती आधार पर की गई हो।

(ग) पिछले कई वर्षों से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) आधारित उत्पाद शुल्क लेवी, मूल्यांकन विवादों को कम करके सरलीकरण का एक प्रभावशाली साधन सिद्ध हुई हैं। मैं एमआरपी आधारित उत्पाद शुल्क लेवी को चबाने वाले तम्बाकू तथा कीट-नाशकों पर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि

दुर्भाग्य से, हम इस वर्ष एक भयानक सूखे का सामना कर रहे हैं। इससे पहले, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क के अंतर्गत जुटाई गई धनराशि पर्याप्त नहीं हैं। इस लिए, पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न, मोटर कारों, बहुपयोगी वाहनों तथा दुपहियों पर 1 प्रतिशत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क लगाने का प्रस्ताव हैं। इसी प्रकार, इस उद्देश्य के लिए कच्चे तेल, वह घरेलू हो अथवा आयातित, पर भी 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से शुल्क लगाया जाएगा। हालांकि, ये नई लेवियां केवल एक वर्ष तक ही सीमित रहेंगी।

हालांकि, लघु छूट योजना का उद्देश्य श्रमिक-बहुल यूनिटों को स्पष्ट लाभ प्रदान करना है लेकिन कुछ क्षेत्रों में इस सुविधा के दुरुपयोग की सूचना मिली है। मैं कुछ मदों के मामले में इस सुविधा को वापिस लेने तथा सामान्य लघु उद्योग योजना के अंतर्गत 3 करोड़ रुपए की पात्रता सीमा को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं।

सेवा-कर

सेवा कर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने तथा 10 नई मदों पर अतिरिक्त सेवा कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है जबकि कर की दरों में वृद्धि वित्त विधेयक के अधिनियम पर लागू होगी तथा नई सेवाओं पर कर लगाना अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा।

पिछले वर्ष, निविष्टि सेवाओं पर सेवा कर क्रेडिट, सेवा कर की अदायगी के लिए प्रदान किया गया था बशर्ते कि निविष्टि तथा अंतिम सेवाएं इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हों। मैं इस सुविधा को सभी सेवाओं के लिए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रकार, अब यह क्रेडिट ऐसे मामलों में भी उपलब्ध होगा जिनमें निविष्टि तथा अंतिम सेवाएं चाहे अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत आती हों।

अप्रत्यक्ष कर : सीमा शुल्क

विदेशी उदारीकरण

दरों को युक्तिसंगत बनाना तथा सीमा शुल्कों की उच्च दरों में कटौती करना हमारे देश में सुधारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था ने न केवल आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाये जाने तथा सीमा शुल्क दरों में कटौती का लाभ उठाया है बल्कि अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर बना कर तथा अपनी भुगतान संतुलन की अंतर्निहित शक्ति का प्रदर्शन भी किया है। इस अनवरत प्रक्रिया के एक भाग के रूप में तथा मेरे कुछ पूर्ववर्ती मंत्रियों द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप मैं अब सीमा शुल्क की उच्चतम दर को 30 प्रतिशत से घटाकर

25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं लेकिन इनमें कृषि तथा डेयरी उत्पाद शामिल नहीं है।

युक्तिसंगत बनाना और राहत

हमारी यह नीति रही है कि क्षेत्र-विशिष्ट तथा अंतिम-उपयोग आधारित सीमा शुल्क छूटों को न्यूनतम किया जाए। यह नीति जारी रहेगी। धात्विक कोक तथा निकल पर, उनके उपयोग के अनुसार, 15 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की दरों से सीमा शुल्क लगता है। इसलिए, इन दोनों मदों पर 10 प्रतिशत की एक समान दर पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

कौंच सीपियां तथा मूल लाख वास्तव में हस्तशिल्प की मदें हैं। इन पर शुल्क 'को 30 प्रतिशत, मैं यह समझ नही पाया हूं कि यह 30 प्रतिशत था ही क्यों, से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

जैतून चीड़ रेसिन, जो तारपीन के लिए कच्ची सामग्री है, पर आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

लेकिन, वास्तविक वाणिज्यिक नमूनों तथा उपहारों के लिए पूर्ण सीमा शुल्क छूट के लिए मूल्य सीमा 5000 रुपए से बढ़ा कर 10,000 रुपए कर दी जाएगी।

मैं यात्री सामान पर सीमा शुल्क को 60 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी करता हूं।

फॉस्फेटिक एसिड, जो उर्वरक की एक निविष्टि है, को विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) से छूट प्राप्त है। एकरूपता लाने की दृष्टि से, मैं, फास्फेटिक एसिड की निविष्टियों, राक फास्फेट तथा कच्चे सल्फर को भी एसएडी से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ हमारी वचनबद्धताओं के अनुरूप, अल्कोहलिक लिकर पर मूल सीमा शुल्क कम होकर 166 प्रतिशत रह जाएगा। मैं आयातित अल्कोहलिक पेयों, जिनमें वाइन भी शामिल है, से संबंधित प्रतिकारी शुल्क को भी युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं।...*(व्यवधान)*

पूंजीगत वस्तुएं तथा आधार संरचना

तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के उपयोग के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए, एलएनजी रिगैसीफिकेशन संयंत्रों पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

स्वच्छ और पर्यावरण-सहायक प्रौद्योगिकियों को समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मैं कास्टिक सोडा उद्योग में प्रयुक्त होने वाले मैम्बरेन सैल प्रौद्योगिकी के घटकों पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

भारतीय रेलवे के लिए सुरक्षा तथा आधुनिकीकरण प्रमुख मुद्दे हैं। इसलिए, लोकोमोटिव्स के पूर्जों, लोकोमोटिव्स को डीसी से एसी में रूपान्तरित करने संबंधी पुर्जों पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने तथा चालकों के प्रशिक्षण हेतु लोको सिमुलेटरों पर शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण के संवर्धन ताकि कृषि उत्पादों के परिवहन के महत्व को देखते हुए, प्रशीतित ट्रकों पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

व्यापार सुविधा

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि संचालन लागत को घटाकर, इसके पश्चात थोड़ी प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यों की निकासी तेजी से की जाएगी, जिससे निर्यात और आयात को सुविधाजनक बनाया जा सके। इस प्रयोजन हेतु, बहुत से उपाय किए गए हैं और ये सभी विस्तार से उपबंधों में अंतर्विष्ट है। मैं भांडागारों में रखे गए सामान के लिए ब्याज-मुक्त अवधि को 30 दिनों से बढ़ा कर 90 दिन करने तथा 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ब्याज की दर को कम करने, जिससे ब्याज की बाजार दर प्रदर्शित हो सके, का प्रस्ताव करता हूं।

सीमा शुल्क निकासी संबंधी हमारी प्रणालियों को सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय परम्पराओं के समतुल्य बनाने के लिए, मैं इसी वर्ष आयातकों तथा निर्यातकों के लिए एक स्व-मूल्यांकन योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव करता हूं। स्व-मूल्यांकन के अंतर्गत आयातक ही वस्तुओं के वर्गीकरण का निर्धारण करेगा, जिसमें छूट संबंधी किसी लाभ हेतु दावा भी शामिल होगा, तथा इस प्रणाली द्वारा उसके घोषणापत्र के आधार पर शुल्क का परिकलन किया जाएगा। आयातित वस्तुओं का वास्तविक निरीक्षण सीमा शुल्क जांच कर्मचारियों के आदेश पर नहीं बल्कि कंप्यूटर-आधारित प्रणाली के अनुसार जोखिम-मूल्यांकन तथा प्रबंध तकनीकों का उपयोग करते हुए किया जाएगा।

महोदय, इस बजट में किए गए प्रत्यक्ष करों संबंधी मेरे प्रस्तावों के परिणामस्वरूप 2955 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी जबकि अप्रत्यक्ष करों संबंधी प्रस्तावों से 3294 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा।

2002-2003 के लिए संशोधित अनुमान

चालू राजकोषीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में व्यय में 6296 करोड़ रुपए की गिरावट को दर्शाते हैं। समग्र व्यय में यह कटौती सूखा राहत, खाद्य सब्सिडी तथा दिल्ली मैट्रो रेल परियोजना पर हुए अतिरिक्त व्यय के बावजूद प्राप्त की गई है।

172,965 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में केन्द्र के निवल कर राजस्व 164,177 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो कि 8788 करोड़ रुपए की कमी को दर्शाते हैं। कर-भिन्न राजस्व 72,759 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो कि 72,140 करोड़ रुपए के अनुमानित स्तर से 619 करोड़ रुपए अधिक है। लेकिन, 3360 करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्तियां 12,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में कम हैं।

2003-2004 के लिए बजट अनुमान

2003-2004 के बजट अनुमानों में 438,795 करोड़ रुपए के कुल व्यय का अनुमान है जिसमें से 120,974 करोड़ रुपए आयोजना तथा 317,821 करोड़ रुपए आयोजना-भिन्न व्यय के लिए हैं।

आयोजना व्यय

एक तरफ तो विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच सही संतुलन तथा दूसरी तरफ राजकोषीय मजबूती प्राप्त करने के लिए आयोजना 2003-2004 के लिए 120,974 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता का निर्धारण किया गया है। यह राशि पिछले वर्ष की राशि से 7474 करोड़ रुपए अधिक है जो 6.6 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। इसमें से 72,152 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता के रूप में प्रदान की जा रही हैं। पिछले वर्ष की तुलना में यह 5281 करोड़ रुपए अथवा 7.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार, राज्य आयोजनाओं के लिए 48,822 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 2193 करोड़ रुपए अधिक है।

आयोजना-भिन्न व्यय

2003-2004 में 317,821 करोड़ रुपए के आयोजना-भिन्न व्यय का अनुमान है जबकि इसकी तुलना में 2002-2003 के संशोधित अनुमान 289,924 करोड़ रुपए का था। आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि मुख्यतः ब्याज अदायगियों (7560 करोड़ रुपए), सब्सिडी (7,162 करोड़ रुपए) तथा रक्षा (9,300 करोड़ रुपए) के कारण है। सरकार सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करने तथा उन्हें उपलब्ध सर्वोत्तम उपकरणों से लैस करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। इस संबंध में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए, अगले वर्ष के दौरान, तीनों रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण संबंधी अतिरिक्त जरूरतों अथवा विवाहितों के लिए आवास परियोजना के कारण यदि कोई अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उसे समग्र रूप से पूरा किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होगी।

राजस्व अनुमान तथा राजकोषीय घाटा

अध्यक्ष महोदय, इन प्रस्तावों के साथ मेरा अनुमान है कि केन्द्र की कुल राजस्व प्राप्तियां 253,935 करोड़ रुपए होंगी तथा राजकोषीय घाटा 153,637 करोड़ रुपए जो कि अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत है।

निष्कर्ष

महोदय, 2003-2004 के लिए बजट तैयार करते समय सरकार ने विकास की गति को तेज करने तथा इसके साथ-साथ राजकोषीय समेकन के क्षेत्र में भी प्रगति करने संबंधी आवश्यकता का ध्यानपूर्वक शालीनता से संतुलन बनाए रखा है। मैं जानता हूं कि सरकार ने जो कुछ भी किया है वह मौजूदा हालात में सर्वाधिक विवेक-सम्मत है।

यह बजट गरीबी की समस्या तथा हमारे नागरिकों की जीवन से जुड़ी चिंताओं को दूर करने; आधार संरचना पर अधिक बल देने, और कृषि तथा उद्योग के त्वरित विकास तथा कर सुधारों की दृष्टि से तैयार किया गया है। मैंने ''पंच प्राथमिकताओं'' पर ध्यान देने का प्रयास किया है तथा मुझे आशा है कि सूखे के इस वर्ष के बाद हमारी अर्थव्यवस्था, बजट पैकेज के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेगी तथा 2003-2004 में प्रभावशाली वृद्धि प्रदान करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि यह बजट ''एक ऐसे भारत का बजट है जो प्रगति के पथ पर है''। एक ऐसा भारत जो समृद्धि की तरफ अब तेजी से बढ़ रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, भाषण समाप्त होने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : यह बजट एक ऐसे भारत से संबंधित है जो गरीबी को निकाल फेंकेगा और अपने विशाल संसाधन, अपनी मानव पूंजी की ताकत तथा ज्ञान के असीम भंडार के आधार पर अपना निर्माण कर रहा है।

महोदय, मैं यह बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब बजट भाषण समाप्त हुआ।

अपराह्न 1.15 बजे

वित्त विधेयक, 2003*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री वित्त विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति मांगेंगे।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है -

"कि वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय विधेयक पुर:स्थापित करेंगे।

श्री जसवंत सिंह : महोदय , मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक, 2003** पुर:स्थापित कर दिया गया। अब सभा सोमवार, 3 मार्च, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 3 मार्च, 2003/12 फाल्गुन, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 28.2.2003 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

**ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए सं० एल०टी० न. 7054/2003

पी०एल०एस० 48/31/10/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।